Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Tel: 0135-2762473,2762472
Fax : 0135-2762460
Email : md.ptcul@rediffmail.com

पत्रांक: 2439 / प्र0नि0 / पिटकुल / सी–1

दिनांक : 18 / 12 / 2007

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, ऊर्जा अनुभाग–2 के पृष्ठांकित आदेश संख्या 1869 / I(2) / 2007–06(3) / 72 / 2003 दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित आदेश निर्गत किये जाते हैं :–

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 566–काविनी–29 / 2007–4पी / टीसी–प्रथम दिनाँक 22.08.2007 के अनुरूप वेतनमान रू0 3050–4590 में सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों को 19 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण किये जाने पर वर्तमान में अनुमन्य तृतीय समयबद्ध वेतनमान रू0 4200–6400 के स्थान पर रू0 4500–7500 दिनांक 22.08.2007 से अनुमन्य होगा।

उपरोक्त उच्चीकृत तृतीय समयबद्ध वेतनमान निर्धारण के फलस्वरूप इस आदेश के निर्गमन से पूर्व का कोई अवशेष देय नहीं होगा। भविष्य में नियुक्त कार्मिकों पर तृतीय समयबद्ध वेतनमान की उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक.........2439........./ प्र0नि0 / पिटकुल / सी–1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0 / परियोजना), पिटकुल।
6. उपमहाप्रबन्धक (वित्त / कं0स0), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
7. समस्त उपमहाप्रबन्धक(परि0 एवं अनु0 / परियोजना), पिटकुल।
8. प्रबन्धक (मा0 सं0), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता (परि0 एवं अनु0 / परियोजना), पिटकुल।
10. का0 ज्ञा0 पत्रावली / कट फाईल।

(एस.के. शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०
PTCUL
POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED
Tel: 0135-2762473,2762472
Fax : 0135-2762460
Email : md.ptcul@rediffmail.com

177

पत्रांक: 2440 / प्र0नि0 / पिटकुल / सी–1 दिनांक : 18/12/2007

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, ऊर्जा अनुभाग–2 के आदेश संख्या 1869 / I(2) / 2007–06(3) / 72 / 2003 दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 91–कादिनी / पाकालि–29 / 07–4–कादिनी / 94 दिनांक 14.02.2007 के अनुरूप एतद्द्वारा निम्न आदेश निर्गत किये जाते हैं :–

1. उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद सब आर्डिनेट इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर सर्विस रेगुलेशन्स 1972 में उल्लिखित अवर अभियन्ता (सलेक्शन ग्रेड) का पद दिनांक 14.02.2007 से समाप्त किया जाता है। संगत विनियमावली / विनियमावलियों में यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

2. अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर सीधी भर्ती की नियुक्ति की तिथि से गणना करते हुये उन्हें निम्नलिखित समयबद्ध वेतनमान दिनांक 14.02.2007 से अनुमन्य किये जाते हैं:–

(i)	प्रथम समयबद्ध वेतनमान (9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर)	रू0 8550–13500 (सहायक अभियन्ता पद का वेतनमान)
(ii)	द्वितीय समयबद्ध वेतनमान (14 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर)	रू0 10650–15200 (अधिशासी अभियन्ता पद का वेतनमान)
(iii)	तृतीय समयबद्ध वेतनमान (19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर)	रू0 14300–18300 (अधिशासी अभियन्ता (सलेक्शन ग्रेड) पद का वेतनमान)

अवर अभियन्ताओं को समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता विषयक परिषदाज्ञा संख्या 965पी / राविप तीस–4 पी / 1986 दिनांक 19.06.1989 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या 251वे0प्र0–30 / राविप / 98–3वे0प्र0 / 98 दिनांक 06.08.1998 (प्रस्तर एक बिन्दु–9) एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 1618–कादिनी / राविप–29 / 98–29–पी–89 दिनांक 29.09.1998 में निहित प्राविधानों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उनमें उल्लिखित अन्य प्राविधान एवं शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

उपरोक्त उच्चीकृत समयबद्ध वेतनमानों के निर्धारण के फलस्वरूप इस आदेश के निर्गमन से पूर्व का कोई अवशेष देय नहीं होगा। भविष्य में नियुक्त अवर अभियन्ताओं पर तृतीय समयबद्ध वेतनमान की उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 2440 / प्र0नि0 / पिटकुल / सी–1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0 / परियोजना), पिटकुल।
6. उपमहाप्रबन्धक (वित्त / कं0स0), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
7. समस्त उपमहाप्रबन्धक(परि0 एवं अनु0 / परियोजना), पिटकुल।
8. प्रबन्धक (मा0 सं0), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता (परि0 एवं अनु0 / परियोजना), पिटकुल।
10. का0 ज्ञा0 पत्रावली / कट फाईल।

(एस.के. शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

176

Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.
पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
PTCUL
POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED
Tel: 0135-2762473,2762472
Fax : 0135-2762460
Email : md.ptcul@rediffmail.com

पत्रांकः 2441 / प्र0नि0 / पिटकुल / सी–1 दिनांक : 18 / 12 / 2007

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन, ऊर्जा अनुभाग–2 के पृष्ठांकित आदेश संख्या 1869 / I(2) / 2007–06(3) / 72 / 2003 दिनांक 06 नवम्बर, 2007 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित आदेश निर्गत किये जाते हैं :–

1. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 508–काविनी / पाकालि–29–2006–4(IV)पी / 86–टीसी दिनांक 11.09.2006 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 724–काविनी / पाकालि–29–2006–4(IV)पी / 86–टीसी दिनांक 20.11.2006 के अनुरूप वेतनमान रू0 4200–6400, रू0 4500–7500 एवं रू0 5300–8600 में नियुक्त समस्त कार्मिकों को 19 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण किये जाने पर तृतीय समयबद्ध वेतनमान रू0 6500–11000 के स्थान पर रू0 8550–13500 दिनाँक 22.06.2005 से अनुमन्य होगा।

उपरोक्त उच्चीकृत तृतीय समयबद्ध वेतनमान निर्धारण के फलस्वरूप इस आदेश के निर्गमन से पूर्व का कोई अवशेष देय नहीं होगा। भविष्य में नियुक्त कार्मिकों पर तृतीय समयबद्ध वेतनमान की उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 2441 / प्र0नि0 / पिटकुल / सी–1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0 / परियोजना), पिटकुल।
6. उपमहाप्रबन्धक (वित्त / कं0स0), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
7. समस्त उपमहाप्रबन्धक(परि0 एवं अनु0 / परियोजना), पिटकुल।
8. प्रबन्धक (मा0 सं0), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता (परि0 एवं अनु0 / परियोजना), पिटकुल।
10. का0 ज्ञा0 पत्रावली / कट फाईल।

(एस.के. शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

151

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 270 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ई–7 दिनांक : 02-03-2009

कार्यालय ज्ञापन

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ऊर्जा विभाग के नियन्त्रणाधीन तीनों निगमों में पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने विषयक शासनादेश संख्या 632/I/2009–05–90/टीसी/2008, ऊर्जा अनुभाग–1, दिनांक 02–03–2009 के अनुरूप पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के समस्त नियमित संवर्ग के कार्मिकों के संलग्नक–1 में दिये गये वर्तमान वेतनमानों को दिनांक 01–01–2006 से प्रतिस्थापित किया जाता है। मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते राज्य सरकार के समान अनुमन्य होगें।

वेतन निर्धारण, विकल्प तथा प्रक्रिया विषयक निर्देश शासन से प्राप्त होने पर अलग से जारी किये जायेगें। समयमान वेतनमान के सम्बन्ध में शासन से निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 31–03–2009 तक के एरियर की धनराशि का भुगतान अगले तीन वित्तीय वर्षो में क्रमशः वर्ष 2009–10 में 40 प्रतिशत, 2010–11 में 30 प्रतिशत तथा वर्ष 2011–12 में 30 प्रतिशत कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि अथवा बॉण्ड के रूप में दिया जायेगा। इस धनराशि का आहरण दिनांक 31–03–2013 से पूर्व आहरित नही किया जायेगा अर्थात 40 प्रतिशत वर्ष 2013–2014 में, 30 प्रतिशत वर्ष 2014–15 में तथा 30 प्रतिशत वर्ष 2015–16 में भुगतान किया जायेगा।

संलग्नक– शासनादेश संख्या 632 दिनांक 02.03.09 का संलग्नक – I

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 270 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ई–7 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव(ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के सन्दर्भ में।
2– निजी सचिव, अध्यक्ष, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
3– निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
4– निदेशक(वित्त), पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
5– अधिशासी निदेशक (परियोजना), पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
6– मुख्य महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0), पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
7– समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0।
8– समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0।
9– कम्पनी सचिव, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
10– समस्त अनुभाग।
11– कट फाइल।

02/03/09
(एस0के0 रथ)
निदेशक(मानव संसाधन)

152

शासनादेश संख्या : 632/I/2009-05-90/TC/2008 दिनांक--02.03.09 का संलग्नक--1

क्र0	01.01.96 से लागू अपुनरीक्षित वेतनमान	01.01.06 से पुनरीक्षित वेतन बैण्ड	सादृश्य ग्रेड वेतन
1.	3050--75--3950--80--4590	वेतन बैण्ड--1 5200--20200	1900
2.	3200--85--4900	वेतन बैण्ड--1 5200--20200	2000
3.	3500--85--5455	वेतन बैण्ड--1 5200--20200	2200
4.	4200--100--6400 (यांत्रिक संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 4300)	वेतन बैण्ड--1 5200--20200	2600
5.	4500--125--7500 (यांत्रिक संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 4625)	वेतन बैण्ड--1 5200--20200	3000
6.	5300--150--8600 (अवर अभियन्ताओं को छोड़कर)	वेतन बैण्ड--2 9300--34800	4200
7.	5300--150--5600--175--9100 (अवर अभियन्ता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन -- 5600)	वेतन बैण्ड--2 9300--34800	4200
8.	5850--175--9000--200--9400	वेतन बैण्ड--2 9300--34800	4200
9.	6000--200--10400	वेतन बैण्ड--2 9300--34800	4200
10.	6500--200--10500--250--11000	वेतन बैण्ड--2 9300--34800	4400
11.	8550--275--13500 (अभियन्ता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन ~~14300~~ 9375)	वेतन बैण्ड--3 15600--39100	5400
12.	10650--325--15200 (अभियन्ता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 11300)	वेतन बैण्ड--3 15600--39100	6600
13.	14300--400--18300 (अभियन्ता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 15100)	वेतन बैण्ड--4 37400--67000	8700
14.	16400--450--20000 (अभियन्ता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 17300)	वेतन बैण्ड--4 37400--67000	8900
15.	18400--500--22400 (अभियन्ता संवर्ग के लिये प्रारम्भिक वेतन 18900)	वेतन बैण्ड--4 37400--67000	10000
16.	21350--525--23975	वेतन बैण्ड--4 37400--67000	11000

क्रमशः ....2.

टिप्पणी। :— 8550—13500 के वेतनमान वाले सभी पदों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही वेतन बैण्ड, वेतन बैण्ड—3 (15600—39100) तथा ग्रेड वेतन रु0 5400—अनुमन्य कराया जाय। परन्तु ऐसे पद जिनके पदधारकों को समयबद्ध वेतनमान के अन्तर्गत तृतीय स्तरोन्ययन समयबद्ध वेतनमान के रुप में रु0 8550—13500 का वैयक्तिक वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु0 5400/—) अनुमन्य हो और इन पदधारकों के लिये इससे उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था भी उपलब्ध न हो तो ऐसे मामलों में रु0 8550—13500 के वेतनमान को पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु0 5400/— के साथ वेतन बैण्ड—2 (9300—34800) में रखा जायेगा।

अनुसूची—'क'

दिनांक 01.01.2006 को तथा अग्रेत्तर पे—बैण्ड में प्रवृष्टि वेतन/न्यूनतम वेतन संरचना

वेतन बैण्ड—1 (5200—20200)

ग्रेड वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	कुल
1900	5830	7730
2000	6460	8460
2200	6510	8710
2600	8000	10600
3000	8610	11610

वेतन बैण्ड—2 (9300—34800)

ग्रेड वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	कुल
4200	9860	14060
4400	12090	16490

वेतन बैण्ड—3 (15600—39100)

ग्रेड वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	कुल
5400	15600	21000
6600	18750	25350

वेतन बैण्ड—4 (37400—67000)

ग्रेड वेतन	वेतन बैण्ड में वेतन	कुल
8700	37400	46100
8900	40200	49100
10000	43000	53000
11000	47100	58100

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव

संख्या : 430 /I/(2)2009-05-90/TC/2008

प्रेषक :

सौरभ जैन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
   उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
   देहरादून।

2. प्रबन्ध निदेशक,
   उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0,
   देहरादून।

3. प्रबन्ध निदेशक,
   पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0,
   देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक, 19 मार्च, 2009

विषय : छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरुप ऊर्जा के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों में पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–632/I/2009-05-90/TC/2008 दिनांक 02–03–09 द्वारा छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरुप ऊर्जा के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों में पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने सम्बन्धी आदेश जारी किये गये थे।

उक्त आदेश के बिन्दु सं0–9 के क्रम में वेतन का निर्धारण, विकल्प तथा प्रक्रिया विषयक बिन्दुओं का शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक कार्मिक, जो दिनांक 01 जनवरी 2006 को कारपोरेशन/निगम की पूर्णकालिक सेवा में था, का वेतन निर्धारण इन आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

परन्तु

कोई कार्मिक वर्तमान वेतनमान में उसकी अगली या किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक अथवा वह पद रिक्त करने तक अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है।

इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में जहाँ कारपोरेशन के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी 2006 तथा इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के मध्य पदोन्नति के कारण उच्चतर वेतनमान

D:\Ninah\G.O\reg. 6th Pay Commission of All Energy Corporations.doc

में रखा गया है वहाँ ऐसी पदोन्नति प्राप्त करने की तिथि से संशोधित वेतन संरचना का विकल्प चुन सकता है।

स्पष्टीकरण–1

वर्तमान वेतनमान चुनने के विकल्प की अनुमति केवल एक वर्तमान वेतनमान के मामले में होगी।

स्पष्टीकरण–2

उपर्युक्त के अनुसार विकल्प की सुविधा दिनांक 01 जनवरी 2006 को अथवा उसके बाद किसी पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिये उपलब्ध नहीं होगी चाहे वह कारपोरेशन की सेवा में पहली बार आया हो अथवा दूसरे पद से स्थानांतरित हो कर आया हो, उसे केवल पुनरीक्षित वेतनमान संरचना में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण–3

जहां कहीं कोई कार्मिक मूल नियम–22 या किसी अन्य नियम या पद के लिये लागू किसी अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिये नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से धारित अपने किसी पद के सम्बन्ध में इस नियम के अन्तर्गत वर्तमान वेतनमान को बनाए रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका मौलिक वेतन वह मूल वेतन होगा, जो वर्तमान वेतनमान में धारित पद, जिस पर उसका धारणाधिकार रहता/निलम्बित न किए जाने तक उसका धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो।

स्पष्टीकरण–4

ऐसे संवर्ग/पदों, जिनके वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 01 जनवरी 2006 के बाद हुआ है, के पदधारकों को यह विकल्प होगा कि वह या तो दिनांक 01 जनवरी 2006, को विद्यमान वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अथवा उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन उच्चीकरण/संशोधन के दिनांक से चुन लें।

2. विकल्प का चयन :–

(1) उपर्युक्त प्रस्तर–1 के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिकों को विकल्प का चयन लिखित रूप से निर्धारित प्रारूप पर *(संलग्नक–1)* देना होगा यह विकल्प सम्बन्धित कार्मिकों के कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी/वेतन प्राधिकार पत्र जारी करने वाले

अधिकारी जो भी सम्बन्धित कार्मिकों की सेवा पुस्तिका/सेवाभिलेख रखता हो, को इस आदेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन की अवधि के अन्दर पहुँच जाना चाहिये।

परन्तु

(क) उस मामले में जब सम्बन्धित कार्मिक इस आदेश के जारी होने की तिथि को अवकाश पर या प्रतिनियुक्ति पर या विदेश सेवा अथवा सक्रिय सेवा में देश से बाहर हो, उपर्युक्त विकल्प सम्बन्धित अधिकारी के पास सम्बन्धित कार्मिक के भारत में आने और यहां पद भार सम्भालने की तिथि के तीन माह के अन्दर लिखित रूप से पहुँच जाना चाहिये।

तथा

(ख) जहां कोई कार्मिक दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निलम्बित हो तो ऐसे में वह काम पर वापस आने की तिथि से तीन माह के अन्दर लिखित विकल्प दे सकता है यदि उसके कार्य पर वापस आने की तिथि इस आदेश के निर्गत होने के बाद की हो।

(2) यदि किसी कार्मिक का लिखित विकल्प उप प्रस्तर–2 (1) के अनुसार निर्धारित तिथि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह मान लिया जायेगा कि उसने पुनरीक्षित वेतन संरचना द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है और उसे 01 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना के अनुसार वेतन दिया जायेगा।

(3) एक बार दिया गया विकल्प ही अन्तिम होगा।

(4) जिन कार्मिकों की सेवा दिनांक 01 जनवरी 2006 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई हो और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण सेवामुक्त कर दिये गये हों, सेवात्याग (त्याग–पत्र), अनुशासनहीनता के कारण सेवा मुक्त या बर्खास्त किये गये हों, को भी विकल्प प्रस्तुत करने की उक्त सुविधा अनुमन्य होगी।

(5) जो कार्मिक दिनांक 01 जनवरी 2006 को या उसके दिवंगत हो गये हों और इस कारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर पुनरीक्षित वेतन संरचना के लिये चयन का विकल्प नहीं दे सके उनके सम्बन्ध में भी यह मान लिया जायेगा कि उन्होंने दिनांक 01 जनवरी 2006 से या उसके बाद की किसी भी तिथि से, जो उनके आश्रितों को लाभप्रद हो, नई वेतन संरचना का चयन कर लिया है। यदि पुनरीक्षित वेतन उनके हक में है तो बकाया राशि के भुगतान के लिये तत्सम्बन्धी सक्षम अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जायेगी।

(6) ऐसे कार्मिक, जो दिनांक 01 जनवरी 2006 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य ऐसे अवकाश पर थे, जिसके लिये अवकाश वेतन अनुमन्य था, को भी इस नियम के अन्तर्गत विकल्प की सुविधा प्राप्त होगी।

3. वर्तमान परिलब्धियों की गणना – किसी कार्मिक की "वर्तमान परिलब्धियाँ" निम्नलिखित को जोड़कर निर्धारित की जायेंगी :–

(1) दिनांक 01 जनवरी 2006 को वेतन निर्धारण हेतु पद के वर्तमान साधारण वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रोन्नति/उच्च वेतन/सेलेक्शन ग्रेड जैसी भी स्थिति हो, में दिनांक 01 जनवरी 2006 को आहरित मूल वेतन या वेतन की निश्चित दर।

(i) साधारण वेतनमान की दशा में मिल रही विस्तारित वेतनवृद्धि की राशि भी, यदि कोई हो, सम्मिलित होगी।

(2) उपर्युक्त प्रस्तर–3 (1) के अधीन मूल वेतन और साधारण वेतन की दशा में विस्तारित वेतन वृद्धि, यदि कोई हो के योग पर 536 (1982=100) के औसत मूल्य सूचकांक पर दिया जाने वाला महँगाई भत्ता।

(3) उपर्युक्त मूल वेतन पर देय मंहगाई वेतन, यदि कोई हो; तथा

(4) उपर्युक्त मूल वेतन तथा देय मंहगाई वेतन, यदि कोई हो तो, के योग पर 536(1982=100) के औसत मूल्य सूंचकांक पर दिया जाने वाला मंहगाई भत्ता।

4. किसी भी कार्मिक की वर्तमान परिलब्धियों की गणना में निम्नलिखित मदें सम्मिलित नहीं की जाएंगी :–

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–9 (25) के अधीन स्वीकृत विशेष वेतन।

(2) स्नातकोत्तर वेतन।

(3) ऐसा वेतन जो उपर्युक्त प्रस्तर–3(1) के अधीन नहीं आता है।

(4) वैयक्तिक वेतन, जो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भविष्य की वेतन वृद्धियों में संविलीन नहीं किया जा सकता हो, अर्थात ऐसे मामलों मे वर्तमान आदेश के अनुसार उसे कम न किया जा सकता हो।

(5) अन्य कोई वैयक्तिक वेतन, विशेष भत्ता अथवा भत्ता।

5. <u>पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रारम्भिक वेतन का निर्धारण</u>

(1) कोई कार्मिक जिसने दिनांक 01 जनवरी 2006 को पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प चुना है अथवा उपर्युक्त प्रस्तर–2 (2) के अन्तर्गत माने गये विकल्प के अनुसार उसके मूल/मौलिक पद (जिस पर उसका धारणाधिकार है अथवा धारणाधिकार होता यदि धारणाधिकार निलम्बित न कर दिया गया होता) और स्थानापन्न पद पर अलग–अलग (यदि कारपोरेशन द्वारा कोई अन्य आदेश न दिये गये हों) निम्न प्रकार से वेतन निर्धारण किया जायेगा :–

(क) <u>सभी कार्मिकों के मामले में</u> :–

(I) वेतन बैण्ड/वेतनमान में वेतन, दिनांक 01 जनवरी 2006 को अनुमन्य वर्तमान वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन की 186% की धनराशि को अगले दस रूपये में पूर्णांकित करके, निर्धारित किया जायेगा।

(II) यदि संशोधित वेतन बैण्ड/वेतनमान का न्यूनतम उपर्युक्त के अनुसार प्राप्त राशि से अधिक है तो वेतन संशोधित बैण्ड/वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जायेगा।

➢ **इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि** :–

जहां वर्तमान वेतनमान में दो या दो से अधिक कार्मिक स्तरों पर वेतन आहरित करने वाले कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही स्तर पर वेतन निर्धारण की स्थिति हो तो ऐसे प्रत्येक दो स्तरों के लिये संशोधित वेतन बैण्ड में वेतन निर्धारण हेतु एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा। इस प्रयोजन के लिये वेतनवृद्धि वेतनबैण्ड में वेतन पर आंकलित की जायेगी। उपर्युक्त वेतनवृद्धि देते समय ग्रेड वेतन को ध्यान में नहीं रखा जायेगा।

वेतन बैण्ड–4 में वेतनमान के मामले में बंचिंग के कारण वेतन वृद्धियों का लाभ इस ग्रेड में विभिन्न वेतनमानों के सभी स्तरों को ध्यान में रख कर दिया जायेगा। उक्त वेतनमान के मामले में संशोधित वेतनमान में पूर्व–संशोधित वेतनमान की प्रत्येक दो स्तरों के लिये एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा।

उपर्युक्त ढंग से वेतन निर्धारण के फलस्वरूप यदि किसी कार्मिक का वेतन पुनरीक्षित वेतन बैण्ड/वेतनमान में ऐसे स्तर पर निर्धारित हो जाता है जो पूर्व संशोधित वेतनमानों में उससे उच्च स्तर पर रहे कार्मिक के

पुनरीक्षित वेतन बैण्ड/वेतनमान में निर्धारित वेतन से अधिक है तो उक्त दूसरे कार्मिक का वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा जिस सीमा तक उसका वेतन पहले कार्मिक के वेतन की तुलना में कम हो।

(III) वेतन बैण्ड में वेतन उपर्युक्त तरीके से निर्धारित होगा। वेतन बैण्ड में वेतन के साथ वर्तमान वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन भी देय होगा।

(ख) उन कार्मिकों, जो कि वर्तमान वेतनमान में वेतन के अलावा विशेष वेतन/भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके लिये किसी विशेष वेतन/भत्तों के बिना ही कोई वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन स्वीकृत किया गया है, ऐसे कार्मिकों का वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रस्तर–5 (1)(क) के उक्त प्रस्तरों में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(ग) उन कार्मिकों, जो कि वर्तमान वेतनमानों में मिल रहे वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से विशेष वेतन यथा परिवार कल्याण प्रोत्साहन स्वरूप वैयक्तिक वेतन, भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता आदि प्राप्त कर रहे है, तथा जिनके मामले में इनके स्थान पर सादृश्य या उच्च दरों पर विशेष वेतन/भत्ता के साथ पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू कर दी गई है, के मामले में वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में उपर्युक्त प्रस्तर–5 (1)(क) के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित होगा। ऐसे मामलों में नई दरों पर विशेष वेतन/भत्ते सम्बन्धित आदेशों में निर्धारित तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त अनुमन्य होंगे।

टिप्पणी–1

वेतनमानों के संविलियन के मामले में, संशोधित वेतन बैण्डों में वेतन का निर्धारण दिनांक 01 जनवरी 2006 को अनुमन्य वर्तमान मूल वेतन के 186% से प्राप्त धनराशि को अगले दस रूपये में पूर्णांकित करते हुए निर्धारित किया जायेगा। संविलियन किये गये वेतनमानों का सादृश्य ग्रेड वेतन, उपर्युक्तानुसार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त दिया जायेगा।

टिप्पणी–2

यदि कोई कार्मिक, दिनांक 01 जनवरी 2006 को अवकाश पर हो और उसे अवकाश वेतन देय हो तो उसे दिनांक 01 जनवरी 2006 से अथवा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस प्रकार यदि कोई कार्मिक दिनांक 01 जनवरी 2006 को अध्ययन अवकाश पर था तो उसे

दिनांक 01 जनवरी 2006 अथवा विकल्प की तिथि से इन नियमों के अन्तर्गत वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा।

टिप्पणी–3

निलम्बित कार्मिक वर्तमान वेतनमान के आधार पर जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसका वेतन लम्बित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

टिप्पणी–4

जहां कोई कार्मिक किसी स्थाई पद पर हो तथा नियमित आधार पर किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत हो एवं दोनों पदों पर लागू वेतनमानों का एक वेतनमान में ही विलय कर दिया गया हो तो ऐसे मामले में वेतन का निर्धारण इस उपर्युक्त व्यवस्था के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जायेगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही उसका मौलिक वेतन माना जायेगा।

इस टिप्पणी के प्राविधान आवश्यक परिवर्तनों सहित, उन कार्मिक पर भी लागू होंगे जो स्थानापन्न रूप से वर्तमान में विभिन्न वेतनमानों में नियुक्त रहें हैं और उन वेतनमानों के पुनरीक्षित वेतन संरचना में समान वेतन बैण्ड/ग्रेड–वेतन/वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

टिप्पणी–5

यदि किसी कार्मिक की वर्तमान परिलब्धियाँ ''संशोधित परिलब्धियों'' से अधिक हो तो यह अन्तर वैयक्तिक वेतन के रूप में देय होगा जिसे अनुवर्ती वेतन वृद्धियों में समायोजित कर लिया जायेगा।

टिप्पणी–6

जहां उपर्युक्त प्रस्तर–5 (1)(क)(I) के अधीन वेतन निर्धारण में कोई कार्मिक वर्तमान वेतनमान में दिनांक 01 जनवरी 2006 के तुरन्त पहले एक ही संवर्ग के किसी कनिष्ठ कार्मिक की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में उसका वेतन ऐसे स्तर पर निर्धारित होता है जो कि उसके कनिष्ठ से कम हो तब ऐसी स्थिति में उसका वेतन संशोधित वेतन बैण्ड में उसी स्तर तक बढ़ा दिया जायेगा जिस स्तर पर वह कनिष्ठ कार्मिक हो।

टिप्पणी–7

जहां कोई कार्मिक दिनांक 01 जनवरी 2006 को वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर रहा हो और जिसके जुड़ने पर वर्तमान परिलब्धियॉ संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती है, तो अन्तर की धनराशि वैयक्तिक वेतन के रूप में देय होगी जिसे अनुवर्ती वेतन वृद्धियों में समायोजित किया जायेगा।

टिप्पणी–8

उन कार्मिक के मामलें में जो कि दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व किसी सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये वैयक्तिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका यह वैयक्तिक वेतन, संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन के निर्धारण के लिये शामिल नहीं किया जायेगा तथा वे दिनांक 01 जनवरी 2006 से या उसके आगे की उस अवधि के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में उस वैयक्तिक वेतन को प्राप्त करते रहेंगे जो कि वे पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू न होने की दशा में प्राप्त करते। ऐसा वैयक्तिक वेतन, निर्धारण की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना मं वेतनवृद्धि की उपयुक्त दर से उस अवधि तक के लिये दिया जायेगा, जिस अवधि तक कार्मिक उसे प्राप्त करना जारी रखता।

स्पष्टीकरण

इस टिप्पणी के प्रयोजनार्थ, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि की ''उपयुक्त दर'' से अभिप्राय वेतन बैण्ड में वेतन और ग्रेड वेतन के उस जोड़ के 3% से है जिस पर कार्मिक का वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित होगा।

टिप्पणी–9

ऐसे मामलों में जहॉ किसी वरिष्ठ कार्मिक की दिनांक 01 जनवरी 2006 के पहले किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति हो जाती है तथा वह उस कनिष्ठ कार्मिक से पुनरीक्षित वेतन संरचना में कम वेतन प्राप्त कर रहा है जो कि दिनांक 01 जनवरी 2006 के बाद उच्च पद पर पदोन्नति किया गया है। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन उसके कनिष्ठ कार्मिक को उच्च पद पर दिये जा रहे वेतन बैण्ड में वेतन के बराबर कर दिया जाये। यह वृद्धि कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति की तिथि से की जायेगी तथा वह निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी, अर्थात :–

(क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ कार्मिक को एक ही संवर्ग का होना चाहिये तथा जिस पद पर वे पदोन्नत हुए हैं वह संवर्ग में समान पद होने चाहिये।

(ख) निम्नतर तथा उच्चतर पदों के वर्तमान वेतनमान तथा संशोधित ग्रेड वेतन जिनमें वे वेतन पाने के हकदार है, समान होने चाहिये।

(ग) वरिष्ठ कार्मिक पदोन्नति के समय कनिष्ठ कार्मिक के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हो।

(घ) उपर्युक्त विसंगति सीधे तौर पर मूल नियम–22 के प्राविधानों के उपयोग के कारण अथवा किसी पुनरीक्षित वेतन संरचना में इस प्रकार की पदोन्नति में वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले अन्य किसी नियम या आदेशों के कारण होनी चाहिये। यदि कनिष्ठ पद पर भी कोई कनिष्ठ अधिकारी वर्तमान वेतनमान के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी की तुलना में अग्रिम वेतनवृद्धि दिये जाने के कारण अधिक वेतन प्राप्त करता रहा है तो इस टिप्पणी के प्राविधानों को लागू करते हुए वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

5. (2) इस प्रकार के प्राविधानों के अधीन रहते हुए यदि स्थानापन्न पद पर निर्धारित किया गया वेतन मूल पद पर निर्धारित किये गये वेतन से कम है तो स्थानापन्न पद पर निर्धारित वेतन को मूल पद पर निर्धारित वेतन से अगले स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

5. (3) इस आदेश में अनुसूची– 'क' में सम्बन्धित वेतन बैण्ड में उस प्रारम्भिक स्तर को दर्शाता है जिस पर किसी विशिष्ट ग्रेड वेतन वाले विशेष पद पर सीधी भर्ती से आये कार्मिकों का वेतन दिनांक 01 जनवरी 2006 को अथवा उसके बाद निर्धारित किया जायेगा।

6. दिनांक 01 जनवरी 2006 को अथवा उसके बाद नवनियुक्त कार्मिकों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण

दिनांक 01 जनवरी 2006 को अथवा उसके बाद नवनियुक्त कार्मिकों का सम्बन्धित वेतन बैण्ड में इस आदेश में वेतनमानों की दर्शाई गई अनुसूची – 'क' में वेतन बैण्ड में उस प्रारम्भिक स्तर को दर्शाता है जिस पर किसी विशिष्ट ग्रेड वेतन वाले विशेष पद पर सीधी भर्ती से आये कार्मिकों का वेतन दिनांक 01 जनवरी 2006 को अथवा उसके बाद निर्धारित किया जायेगा।

यह दिनांक 01 जनवरी 2006 और इस आदेश के जारी होने की तिथि के बीच भर्ती हुए कार्मिकों के मामले में भी लागू होगा। ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान (अपुनरीक्षित) वेतनमानों में परिलब्धियां (अर्थात सेवा में आने की तिथि को लागू वर्तमान वेतनमान/वेतनमानों में मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता का योग) पुनरीक्षित वेतन संरचना

में निर्धारित वेतन तथा उस पर स्वीकार्य मंहगाई भत्ते के जोड़ से अधिक हो तो उस अंतर को वेतन में होने वाली अनुवर्ती वेतन वृद्धियों में वैयक्तिक वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी।

7. **पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि**

पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन वृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में वेतन और लागू ग्रेड वेतन के जोड़ का 03% होगी, जिसे अगले 10 रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा। वेतन वृद्धि की राशि वेतन बैण्ड मे मौजूदा वेतन में जोड़ी जायेगी।

8. **पुनरीक्षित वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि की तिथि**

वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई होगी। ऐसे कार्मिक जिनकी वेतन वृद्धि की तिथि 01.01.2006 से 30.06.2006 के मध्य है उनको वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01.01.2006 को दी जायेगी तथा जिन कार्मिकों की वेतन वृद्धि की तिथि 01.07.2006 से 31.12.2006 के मध्य होगी उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2006 को दी जायेगी। भविष्य में भी वार्षिक वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष उक्तानुसार 01 जनवरी तथा 01 जुलाई को ही अनुमन्य कराई जायेगी। जिन कार्मिकों की वेतन वृद्धि की तिथि 01.01.2006 है ऐसे कार्मिकों को पूर्व वेतनमान में वेतन वृद्धि अनुमन्य कराने के बाद संशोधित वेतन ढाँचे के वेतन बैण्ड में वेतन निर्धारण किया जाये तथा आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.01.2007 को अनुमन्य होगी।

9. **दिनांक 01 जनवरी 2006 के बाद पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण**

जहां कार्मिक वर्तमान वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता है और उसे दिनांक 01 जनवरी 2006 के बाद की तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो पुनरीक्षित वेतन संरचना में बाद की तिथि से उसका वेतन निम्न प्रकार निर्धारित होगा :–

वेतन बैण्ड में वेतन का निर्धारण बाद की तिथि से लागू मूल वेतन, मंहगाई वेतन और अपुनरीक्षित दरों पर दिनांक 01 जनवरी 2006 की दर से अनुमन्य मंहगाई भत्ता को जोड़ते हुए किया जायेगा। यह संख्या अगले 10 मे पूर्णांकित की जायेगी और इस प्रकार निकाली गयी संख्या ही लागू वेतन बैण्ड में वेतन होगा। इसके अतिरिक्त अपुनरीक्षित वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन भी देय होगा। जहां कहीं कोई कार्मिक विशेष वेतन ले रहा होगा जो, प्रस्तर 5 (1)(ख) एवं (ग) में यथा विहित प्रकिया जिस रूप में लागू हो, का अनुपालन किया जायेगा, सिवाय इसके कि उक्त तारीख को यथा लागू मूल वेतन

तथा मंहगाई वेतन ही गणना में लिया जायेगा किन्तु मंहगाई भत्ते का आंकलन दिनांक 01 जनवरी 2006 को लागू दरों के अनुसार ही किया जायेगा।

10. ऐसा कार्मिक जो दिनांक 01 जनवरी 2006 से पहले किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत रहा हो परन्तु दिनांक 01 जनवरी 2006 को उस पद पर न रहा हो, और उस पद पर बाद की तिथि में नियुक्त किया गया हो, तो बाद में नियुक्त होने पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसका वेतन मूल नियम 22 के प्राविधानों का लाभ देते हुए इस प्रकार से निर्धारित किया जायेगा कि जैसे वह दिनांक 01 जनवरी 2006 को उस पद पर था और उसने उस तिथि से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त करने का विकल्प दिया था।

11. 01 जनवरी 2006 को या उसके बाद पदोन्नति पर वेतन–निर्धारण

पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति की स्थिति में वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :–

(1) वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03% धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतन वृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तदनुसार आगणित वेतन वृद्धि की धनराशि वेतनबैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि पदोन्नति के पद के वेतन बैण्ड में वेतन होगा, जिसके साथ पदोन्नति पद का ग्रेड वेतन देय होगा। जहां पदोन्नति में वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो वहां भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद भी जहां वेतन बैण्ड में आगणित वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तदनुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढा दिया जायेगा।

अग्रेतर यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि जनवरी/जुलाई में ही देय होगी, लेकिन नियुक्ति/प्रोन्नति/उच्चीकरण की तिथि से कम से कम 6 माह का समय पूरा होने पर प्रथम वेतन वृद्धि देय होगी। यदि उक्तानुसार वेतन वृद्धि का निर्धारण दिनांक 01.01.2006 से वेतनमानों के पुनरीक्षण में नहीं किया गया है तो सम्बन्धित आहरण/वितरण अधिकारी के द्वारा तदनुसार वेतन निर्धारण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. कार्मिकों को 01.01.2006 या उसके बाद देय समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

13. पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुव्यवस्थित/सही वेतन निर्धारण को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रारूप (*संलग्नक–2*) के अनुसार वेतन निर्धारण का विवरण तैयार किया जायेगा। उक्त विवरण की एक प्रति सम्बन्धित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में चस्पां की जायेगी।

14. वर्तमान वेतनमानों के प्रत्येक स्तर के लिये वेतन निर्धारण से सम्बन्धित विस्तृत तालिकाएं (*संलग्नक–3*) पर दी गई है। इन तालिकाओं के आधार पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण किया जायेगा।

15. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष का भुगतान सम्बन्धित कार्मिक से संलग्न प्रारूप (*संलग्नक–4*) के अनुसार अन्डर टेकिंग लेने के उपरान्त ही किया जायेगा।

16. वेतन निर्धारण एवं अवशेषों का भुगतान सम्बन्धित क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों/वेतन एवं लेखा से विधिक्षा के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों में अनुमन्य भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की धनराशि इत्यादि राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित भत्तों के समान दिनांक 01–04–2009 से ही निगमों में अनुमन्य होंगें। शेष जो भत्ते, शासन द्वारा जब तक पुनरीक्षित नहीं किये जाते तब तक पूर्व की भांति पुराने वेतनमान के स्तर पर ही देय होंगे।

18. <u>भुगतान एवं अवशेष भुगतान की प्रक्रिया</u>

1. वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 31.03.2009 तक के एरियर की धनराशि का भुगतान अगले तीन वित्तीय वर्षों में क्रमशः वर्ष 2009–10 में 40%, 2010–11 30% तथा वर्ष 2011–12 में 30% कार्मिकों को सामान्य भविष्य निधि अथवा बॉण्ड के रूप में दिया जायेगा। इस धनराशि का आहरण दि0 31.03.2013 के पूर्व आहरित नहीं किया जायेगा अर्थात 40% वर्ष 2013–14 में, 30% वर्ष 2014–15 में तथा 30% वर्ष 2015–16 में भुगतान किया जायेगा।

   ऐसे कर्मी, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा अन्य कारणों से सेवामुक्त हुए हैं अथवा 6 माह के अन्दर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, को नगद भुगतान किया जायेगा।

2. पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के ऐसे कार्मिक, जिन्हें राज्य सरकार की भांति सेवानिवृत्ति आदि लाभों का भुगतान कोषागार के माध्यम से किया जा रहा

है उनको दिनांक 01.01.2006 से तथा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त उक्त कार्मिकों के देयकों का भुगतान उत्तराखण्ड राज्य सरकार के द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

3. माह अप्रैल 09 का देय वेतन का भुगतान नगद करना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. अवशेष का भुगतान करते समय देय आयकर धनराशि की कटौती के बाद शेष बची धनराशि सामान्य भविष्य निधि में जमा/बॉण्ड के रूप में भुगतान की जायेगी।

19. पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिये जाने वाले विकल्प का प्रारूप ***संलग्नक–1*** पर, तथा वेतन निर्धारण से सम्बन्धित कतिपय उदाहरण ***संलग्नक–5*** पर उपलब्ध है।

भवदीय,

संलग्नक :– यथोक्त।

19.3.09

(सौरभ जैन)
अपर सचिव

संख्या :–430 /I(2)/2009-05-90/TC/2008, तद्‌दिनांक–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव वित्त एवम् सदस्य सचिव, वेतन समिति, उत्तराखण्ड शासन।
6. महालेखाकार, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
8. निदेशक, उरेडा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. मीडिया प्रभारी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.
कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 317 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / ई–7 दिनांक : 21 -03-2009

कार्यालय ज्ञापन

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ऊर्जा विभाग के नियन्त्रणाधीन तीनों निगमों में पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने विषयक शासनादेश संख्या 632 / I / 2009–05–90 / टीसी / 2008, ऊर्जा अनुभाग–1, दिनांक 02–03–2009 के अनुक्रम में निर्गत कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0 270 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / ई–7 दिनांक 02.03.2009 के तारतम्य में शासनादेश संख्या 430 / I / (2)2009–05–90 / टीसी / 2008, ऊर्जा अनुभाग–1, दिनांक 19–03–2009 के अनुरूप दिनांक 01.01.2006 को कारपोरेशन के पूर्णकालिक सेवा में कार्यरत कार्मिकों तथा उसके बाद नवनियुक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण, विकल्प तथा प्रक्रिया विषयक कार्यवाही संलग्न उपरोक्त शासनादेश दिनांक 19.03.2009 के अनुसार सम्पादित की जायेगी।

कार्मिकों को मंहगाई भत्ता शासनादेश संख्या 396/XXVII(7)/2008 दिनांक 17.10.2008 के अनुसार अनुमन्य होगा। शेष अन्य अनुमन्य भत्ते यथा आवास किराया भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, स्वेच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य वैयक्तिक वेतन की धनराशि इत्यादि संलग्न शासनादेश संख्या क्रमशः 38/XXVII(7)/म0कि0/2009 दिनांक 13.02.2009, संख्या 39/XXVII(7)/प0वि0भ0/2009 दिनांक 13.02.2009 एवं 40/XXVII(7)/स्वे0परि0क0/2009 दिनांक 13.02.2009 के अनुसार दिनांक 01.04.2009 से अनुमन्य होंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त जो भत्ते, शासन द्वारा जब तक पुनरीक्षित नहीं किये जाते तब तक पूर्व की भांति पुराने वेतनमान के स्तर पर ही देय होंगे।

पूर्ववर्ती उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद के ऐसे कार्मिक, जिन्हें राज्य सरकार की भांति सेवा निवृत्ति लाभों का भुगतान कोषागार के माध्यम से किया जा रहा है उनको दिनांक 01.01.2006 से तथा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त उक्त कार्मिकों के देयों का भुगतान उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 419/XXVII(7)/पेंशन/2008, संख्या 421/XXVII(7)/पेंशन/2008 दिनांक 27.10.2008 तथा संख्या 420/XXVII(7)/मं0रा0/2008 दिनांक 27.10.2008 के अनुरूप किया जायेगा।

सलंग्नः शासनादेश संख्या 430 दिनांक 19.03.09 तथा
भत्तों एवं पेंशन के सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेश

20/03/09
निदेशक (मा0सं0)

क्रमशः 2...

पत्रांकः 317 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / ई–7 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर सचिव(ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के सन्दर्भ में।
2– निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
3– निदेशक(वित्त), पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
4– अधिशासी निदेशक (परियोजना), पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
5– मुख्य महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0), पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
6– समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक / अधिशासी अभियन्ता, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0।
7– समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0।
8– कम्पनी सचिव, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
9– कट फाइल।

(एस0के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ई–7 दिनांक: 07/08/2009

कार्यालय–ज्ञाप

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरुप ऊर्जा निगमों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान विषयक शासनादेश संख्या 430/I/(2) 2009–05–90/TC/2008 ऊर्जा अनुभाग–1 दिनांक 19.03.09 में विहित प्राविधानों के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से प्रवृत्त वेतनमानों में कारपोरेशन कार्मिकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान परिलक्षित कठिनाईयां/विसंगतियां आदि के निराकरण के लिए सुझाव देने हेतु तथा उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3080 निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/छठें वेतन आयोग दिनांक 30.07.2009 को अंगीकृत करने हेतु पिटकुल में कमेटी के सुझावों के अनुसार कारपोरेशन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–

1. कारपोरेशन में दिनांक 01.01.06 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों का 01.01.06 से वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त यदि शासनादेश 632/I/2009–05–90/TC/2008 ऊर्जा अनुभाग–1 दिनांक 02.03.09 की अनुसूची–"क" में दर्शित वेतन स्तर से कम आता है तो ऐसे कार्मिकों का वेतन दिनांक 01.01.06/विकल्प की तिथि से उपरोक्त शासनादेश की अनुसूची–"क" में दर्शित वेतन संरचना के अनुरुप अनुमन्य कर दिया जाय।
2. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरुप वेतन निर्धारण के फलस्वरुप देय एरियर की धनराशि का भुगतान ई0पी0एफ0 से आवरित कार्मिकों को इस प्रतिबन्ध के साथ वेतन में नकद भुगतान किया जाय कि वे अपने एरियर के समतुल्य धनराशि का, कम से कम त्रिवार्षिक बॉण्ड स्वयं खरीदकर अपने नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। ऐसे कार्मिकों को अगले माह का वेतन तभी प्राप्त हो सकेगा जब वे प्राप्त एरियर की धनराशि के समतुल्य राशि का बॉण्ड अपने नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत कर चुके होंगे।
3. शासनादेश 395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17.10.08 के बिन्दु 9 के अनुसार जब कोई कर्मचारी अपने वेतन बैण्ड के अधिकतम स्तर पर पहुँच जायेगा, तो उसे अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैण्ड में रख दिया जायेगा। उच्चतर बैण्ड में स्थापन के समय पूर्व प्राप्त मूल वेतन पर एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जायेगा परन्तु पद का ग्रेड वेतन पूर्ववत रहेगा। उच्चतर वेतन बैण्ड में तब तक उन्नयन होगा जब तक वेतन बैण्ड–4 के अधिकतम तक नहीं पहुँच जाता और उसके पश्चात् उसे और कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जायेगी।
4. शासनादेश संख्या 430/I(2)2009–05–90/TC/2008 ऊर्जा अनुभाग–। दिनॉक 19.03.09 के प्रस्तर 8 में जिन कार्मिकों की वेतन वृद्धि की तिथि 01.01.2006 है ऐसे कार्मिको को शासनादेश संख्या 27/XXVII(VI)/प–9/2009/ वित्त अनु–7 दिनांक 13.02.2009 में निहित प्राविधानों का संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया जाता है ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण पुराने वेतनमान में एक वेतन वृद्धि के स्थान पर नये वेतनमान में ही एक वेतनवृद्धि देकर वेतन का निर्धारण किया जायेगा और पूर्व में जो त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किये गये है उन्हें सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ठीक कर लिया जाय।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 843 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ई–7 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7 बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
2. निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, 7 बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
3. अधिशासी निदेशक (परियोजना), ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0), समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, ...।
5. उपमुख्य लेखाधिकारी (परियोजना)/प्रबन्धक (मा0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, ...।
6. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कटफाईल।

(एस0के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

133

संख्या : 11 /I/2010-06-90/2008

प्रेषक :

सौरभ जैन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

2. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0,
देहरादून।

3. प्रबन्ध निदेशक,
पिटकुल,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 05 जनवरी, 2010

विषय : छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरुप ऊर्जा के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के प्रबन्ध निदेशक/निदेशकों को पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0–294/XXVII(7)/2009 दि0–25–09–2009 के कम में ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों यथा उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 एवं पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में प्रबन्ध निदेशक, निदेशक के वेतनमान रू0 37,400–67,000 (ग्रेड पे–12,500 एवम् 12,000 (वेतनबैण्ड–IV) को दि0–01–01–2006 से निम्नलिखित फिटमेन्ट टेबिल के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

अपुनरीक्षित वेतनमान रू0–23,000–575–24,500

पुनरीक्षित वेतनमान HAG+ रू0 69,010 (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) 79,000

अपुनरीक्षित मूल वेतन	पुनरीक्षित वेतनमान
23,000	69,010
23,575	71,080
24,150	73,220
24,725	75,420
25,300	77,790

क्रमशः .....2.....

SA for issue of pay
Subsequently orders
given ....

No. 20 /MD/PTCUL/ 61 Dt. 6/1/10
Director (HR)
forwarded for n.a. pl.
06/01/10
P.S. to MD
cc GM (Finance)

134

अपुनरीक्षित वेतनमान
रु0 22,400—525—24,500

पुनरीक्षित वेतनमान
HAG+ 67,000 (3% वार्षिक वेतन वृद्धि) रु0 79,000

अपुनरीक्षित मूल वेतनमान	पुनरीक्षित वेतन
22,400	67,000
22,925	69,010
23,450	71,080
23,975	73,220
24,500	75,420

पुनरीक्षित वेतनमान से सम्बन्धित भत्तों, वेतन निर्धारण, विकल्प तथा प्रक्रिया विषयक निर्देश उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या—1430/I(2)/2009-05-90/TC/2008 दिनांक 14—09—2009 के अनुसार यथावत रहेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
4.1.10
(सौरभ जैन)
अपर सचिव

संख्या :— /I/2010-05-90/2008, तद्‌दिनांक—

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु :—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव वित्त एवम् सदस्य सचिव, वेतन समिति, उत्तराखण्ड शासन।
6. महालेखाकार, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
8. निदेशक, उरेडा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. मीडिया प्रभारी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव

D:\Rinesh\Ureg\5th pay commission for nanscables employees.doc

131

(25)

प्रेषक :

सौरभ जैन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या : 1453 /I/2009-05-90/TC/2008

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

2. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0,
देहरादून।

3. प्रबन्ध निदेशक,
पिटकुल,
देहरादून।

A-A0 II
Pl Keep in file
15/9/09

Sri Garg
KVH
15/9/09

ऊर्जा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक :15 सितम्बर, 2009

विषय : छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरुप ऊर्जा के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों में पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।

स0प0सं0-- प्रबन्ध निदेशक, उ0ज0वि0नि0लि0 का पत्र सं0–221/उ0ज0वि0नि0लि0/प्र0नि0-1 शासन–6 दिनांक 21–03–2009

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों यथा उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेश लि0, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 एवं पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में शासन द्वारा स्वीकृत पदों यथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध निदेशक, निदेशक एवं अधिशासी निदेशक के वेतनमान दिनांक 01–01–2006 से निम्नवत् पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

पदनाम "स्तम्भ क"		दिनांक 01–01–2006 से संशोधित वेतन संरचना "स्तम्भ ख"		
क0		वेतन बैंड/वेतनमान का नाम	सदृश्य वेतन बैंड/वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन
1.	अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक	वेतन बैंड–4	HAG+ वेतनमान रू0 75,000–80,000	वार्षिक वेतन वृद्धि 3%
2.	प्रबन्ध निदेशक रू0–23,000–575–25,300	वेतन बैंड–4"	रू0 37000–67,000	रू0 12,500

D:\mohit\GO\reg. 5th pay commission for transcoldies employees.doc

पृ0मं0

3	निदेशक रू0 22,000–525–24,500 22400	वेतन बैंड–4	रू0 37000–67,000 37400	रू0 12,000
		अभ्युक्तिः– जनवरी, 06 के बाद सीधी भर्ती के प्रकरण में न्यूनतम रू0 47,100 का वेतनमान एवं रू0 12,000 ग्रेड पे अनुमन्य होगा।		
4	अधिशासी निदेशक	वेतन बैंड–4	रू0 37000–67,000 37400	रू0 11,500

पुनरीक्षित वेतनमान से सम्बन्धित भत्तों, वेतन निर्धारण, विकल्प तथा प्रक्रिया विषयक निर्देश उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–632/I/2009-05-90/TC/2008 दिनांक 02–03–2009 एवं संख्या–430/I(2)/2009-05-90/TC/2008 दिनांक 19–03–2009 के अनुसार यथावत रहेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोक्त।

भवदीय,

(सौरभ जैन)
अपर सचिव

संख्या :– /I/2009-05-90/TC/2008, तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव वित्त, एवम् सदस्य सचिव, वेतन समिति, उत्तराखण्ड शासन।
6. महालेखाकार, देहरादून, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
8. निदेशक, उरेडा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. मीडिया प्रभारी, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांकः 1138 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांकः 16.10.2009

कार्यालय–ज्ञापन

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञापन सं0 1938/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ई–5/2 दि0 25.07.08 के द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी कि यदि किसी कार्मिक की अन्य संवर्ग में खुले चयन द्वारा सीधी भर्ती के फलस्वरूप आगमन बिन्दु परिवर्तित हो जाता है और उस परिवर्तित आगमन बिन्दु में समयावधि की गणना करने पर समयबद्ध वेतनमान हेतु जो लाभ प्राप्त होता है वह पूर्व धारित पद की सेवा के सन्दर्भ में प्राप्त लाभ से कम है तो ऐसी दशा मैं समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता हेतु सन्दर्भित कार्मिक को यह विकल्प प्रदान कर दिया जाये कि वह अन्तिम सीधी भर्ती से पूर्व सीधी भर्ती के धारित पदों में से किसी एक को अंगीकार करें। उक्त आदेश में यह भी व्यवस्था दी गयी थी कि आदेश के निर्गतन की तिथि अर्थात् दिनांक 25.07.2008 से पूर्व का न तो कोई एरियर देय होगा और न ही कोई प्रत्याप्ती की जायेगी।

कारपोरेशन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञापन सं0–2439/प्र0नि0/पिटकुल/सी–1 दिनांक18.12.2007 एवं सं0–2441/प्र0नि0/पिटकुल/ सी–1 दिनांक 18.12.2007 द्वारा उच्चीकृत किये गये समयबद्ध वेतनमानों का एरियर दिनांक 18.12.2007 से भुगतान किया गया है परन्तु कार्यालय ज्ञापन सं0– 1938 दिनांक 25.07.2008 से आवरित कार्मिकों को यह सुविधा अनुमन्य नहीं हो पा रही है। अतः कारपोरेशन के इन आदेशों की अनुरूपता में एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि कार्यालय ज्ञाप सं0–1938/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ई–5/2 दिनांक 25.07.2008 के द्वारा आवरित कार्मिकों को समयबद्ध वेतनमान के एरियर का भुगतान दिनांक 18.12.2007 से देय होगा, शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः–1138/मा0सं0एवंप्र0वि0/पी–3 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
2. निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
3. निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (परियोजना), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0), पिटकुल, 650 कावंली रोड़, देहरादून।
6. महाप्रबन्धक (वित्त) एवं क0 सचिव, पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
7. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल..............................।
8. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
10. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाईल।

(एस0के0शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांकः 1139 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांकः 16.10.2009

कार्यालय–ज्ञापन

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के आदेश सं0–2439/प्र0नि0/पिटकुल/सी–1 दिनांक 18.12.2007, सं0–2440/प्र0नि0/पिटकुल/सी–1 दिनांक 18.12.2007, एवं आदेश सं0–2441/प्र0नि0/पिटकुल/सी–1 दिनांक 18.12.2007, के द्वारा कतिपय श्रेणीयों के समयबद्ध वेतनमान उच्चीकृत किये गये थे तथा वेतन निर्धारण के फलस्वरूप वेतन अवशेषों का भुगतान दिनांक 18.12.2007 से अनुमन्य कराया गया था। शासनादेश सं–430/1/(2) 2009–05–90/TC/2008, दिनांक 19.03.2009 एवं पिटकुल के आदेश सं0–317/मा0सं0एवंप्रव0वि0/पिटकुल/ई–7 दिनांक 21.03.2009 के अनुपालन में कतिपय इकाईयां के द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि जो कार्मिक दिनांक 18.12.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत हुये थे उनकी पेंशन की गणना उच्चीकृत समयबद्ध वेतनमान अनुमन्यता की तिथि व वास्तविक भुगतान की तिथि 18.12.2007 के मध्य उच्चीकृत समयबद्ध वेतनमान के वेतन निर्धारण का लाभ प्रदान करते हुये की जायेगी। इस प्रकार उपर्युक्तानुसार पेंशन निर्धारणोपरान्त समेकन का लाभ दिनांक 18.12.2007 से देय होगा।

उत्तराखण्ड शासन को देय पेंशनरी अंशदान का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः– 1139 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पी–3 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
2. निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
3. निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (परियोजना), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0), पिटकुल, 650 कावंली रोड़, देहरादून।
6. महाप्रबन्धक (वित्त) एवं क0 सचिव, पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
7. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल..............................।
8. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
10. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाईल।

(एस0के0शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 1225/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/~~ईओ–7~~ P-3

दिनांक: 11.11.2009

कार्यालय ज्ञापन

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 317/मा0सं0एवं0प्र0अनु0/पिटकुल/ई–7 दिनांक 21.03.2009 के द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप शासनादेश संख्या 632/I/2009–05–90/TC/2008, दिनांक 02.03.09 एवं शासनादेश संख्या 430/I(2)2009–05–90/TC/2008 दिनांक 19.03.09 की व्यवस्थानुसार अपने कार्मिकों को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

शासनादेश संख्या 430/I(2)2009–05–90/TC/2008 दिनांक 19.03.09 के प्रस्तर 12 में दिनांक 01.01.2006 या उसके बाद देय समयबद्ध वेतनमान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में अलग से आदेश किये जाने थे। उपरोक्त के क्रम में शासनादेश संख्या 1658/I(2)/2009–05/90/2008 दिनांक 27.10.2009 के अनुरूप निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है:–

1. समयबद्ध वेतनमान दिनांक 31.03.2009 तक पूर्व व्यवस्था के अनुरूप लागू किया जाता है।
2. दिनांक 01.04.2009 से कारपोरेशन में सुनिश्चित कैरियर स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था राज्य कर्मचारियों की भांति शासनादेश संख्या 75/XXVII(7) ए0सी0पी0/2009 दिनांक 28.02.09 के प्राविधानों के अनुसार लागू की जाती है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: 1225 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईओ–7 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7बी, लेन–1, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
3. निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन–1, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, कांवली रोड़, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, पिटकुल, 650 कांवली रोड़, देहरादून।
6. समस्त महाप्रबन्धक, पिटकुल, ... ।
7. समस्त उपमहाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, ... ।
8. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, 7बी, लेन–1, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, 7बी, लेन–1, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
10. सम्बन्धित पत्रावली/कट फाईल।

(एस0 के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 1226 /मा0स0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक: 11 .11.2009

कार्यालय ज्ञापन

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ऊर्जा निगमों के कार्मिकों के वेतन पुनरीक्षण / वेतन निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान परिलक्षित कठिनाईयां / विसंगतियां आदि के निवारण विषयक कारपोरेशन कार्यालयन ज्ञाप सं0 843 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / ई–7 दिनांक 07.08.2009 के बिन्दु–2 के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों से प्राप्त हुए प्रतिवेदनों / जिज्ञासाओं का कारपोरेशन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय एरियर की धनराशि का भुगतान ई0पी0एफ0 योजना से आच्छादित कार्मिकों को इस प्रतिबन्ध के साथ वेतन में नगद भुगतान किया जाये कि वे अपने एरियर के समतुल्य धनराशि का ऐसे शासकीय संस्थानों की उन सभी योजनाओं में निवेश करें, जिसमें निवेशित धनराशि 03 वर्ष तक बाधित (Blocked) रहें जैसे National Saving Certificate (NSC) तथा PPF आदि। PPF के पुराने Account में चूंकि इस प्रकार निवेशित राशि 03 वर्ष तक Block नहीं रह पायेगी। अतः नये PPF खाते खोलकर या जो खाते 03 वर्ष पूर्व खोले गये हो उसमें निवेश कर सकते हैं तथा Equity Linked Saving Schemes (ELSS) Mutual Fund जिसका Lock-in period 03 वर्ष का हो एवं जो Government Financial Institutions द्वारा पूर्णतः Operate की जाती हो, में निवेश करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। साथ ही कार्मिकों के संज्ञानार्थ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि Mutual Fund में निवेश पूर्णतः सुरक्षित नहीं है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :1226 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
2. निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, 7–बी, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
3. निदेशक (वित्त), पिटकुल, , 7–बी, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0एवं0अनु0) पिटकुल, 650 कांवली रोड, देहरादून।
6. महाप्रबन्धक (वित्त एवं कम्पनी सचिव), पिटकुल, , 7–बी, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
7. समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक / अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, ...।
8. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0)/ वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, 7–बी, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून। देहरादून।
9. कार्यालय ज्ञाप पंजिका / कटफाईल।

(एस0के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांकः 1363 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 दिनांकः 02 / 12 / 2009

कार्यालय ज्ञाप

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप संशोधित वेतनमान दिये जाने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड शासन के वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–78 / XXVII(7) / 2009, दिनांक 01.03.2009 तथा आदेश संख्या–100 / XXVII(7) / 2009, दिनांक 31.03.2009 के द्वारा यात्रा भत्तों की दरों को पुनरीक्षित किया गया है। पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के **निदेशक मण्डल** की 24वीं बैठक में अनुमोदन के उपरान्त उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त आदेशों को पिटकुल में कार्यरत समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों / कर्मचारियों को अनुमन्य किये जाने हेतु अंगीकार करने की सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

2. उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–78 के पैरा 6 में अंकित प्रभावी तिथि 01.04.2009 के स्थान पर उक्त आदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड में दिनांक 01.12.2009 से लागू होंगे।

3. यात्रा भत्ता सम्बन्धी कारपोरेशन में पूर्व प्रवृत सभी आदेश उक्त आदेश निर्गत होने के पश्चात् संशोधित समझे जायेंगे।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से
निदेशक मण्डल

पत्रांकः 1363 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7बी, लेन–1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
2. निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7बी, लेन–1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
3. अधिशासी निदेशक (परियोजना), पिटकुल, 7बी, लेन–1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0), पिटकुल, 650 कांवली रोड़, देहरादून।
5. महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव, पिटकुल, 7बी, लेन–1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
6. समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
7. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन–1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, 7बी, लेन–1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
9. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, पिटकुल, 7बी, लेन–1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
10. कट फाईल / सम्बन्धित पत्रावली।

(एस0के0 रथ)
निदेशक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांकः 188 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/ ~~पी–3~~ ईओ-7 दिनांकः 09.02.2010

कार्यालय ज्ञाप

समयबद्ध वेतनमान सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1658 दिनांक 27.10.2009 के अनुरूप कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1225/मा0सं0एवंप्र0वि0/पी–3 दिनांक 11.11.2009 के क्रम में एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि जिन कार्मिकों ने मार्च, 2009 तक उनको देय समयबद्ध वेतनमान के सम्बन्ध में अपना विकल्प पत्र अब तक नहीं भरा है, उन्हें विकल्प पत्र भरने हेतु दिनांक 31.03.2010 तक का समय प्रदान किया जाता है।

उपरोक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त विकल्प पत्र सम्बन्धी आवेदनों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

निदेशक (मा0सं0)

पत्रांकः 188 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/ ~~पी–3~~ ईओ-7 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, 7–बी, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
2. अधिशासी निदेशक (परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, कांवली रोड़, देहरादून।
3. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0 एंव अनु0), 1/1–केनाल रोड़, बल्लूपुर,, देहरादून।
4. समस्त महाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
6. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, 7–बी, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, ...।
8. कार्यालय ज्ञाप पंजिका /कट फाईल।

(एस0के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कॉरपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांकः 1222/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी-8 दिनांकः 09/09/2010

कार्यालय ज्ञाप

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद,लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका सं0 264 (एस/एस)/1999 (विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ, उ0प्र0 बनाम यू0पी0 स्टेट एवं अन्य) तथा याचिका सं0 1289 (एस0बी0)/2003 (ए0जी0 मोइनुद्दीन एवं अन्य बनाम उ0प्र0 पा0का0लि0 एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.07 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उ0प्र0 पा0का0लि0 द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका सं0 21712–21713/2007 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनांक 27.07.09 एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0 1221/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/ दिनांक 08.09.2010 के अनुपालन में पूर्ववर्ती परिषद की विज्ञप्ति सं0 531–विनियम–23/रा0वि0प0–98 दिनांक 22.12.1998 द्वारा निर्गत उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली–1998 प्रभावी होने की तिथि दिनांक 01.04.1984 से निरस्त कर दिए जाने के फलस्वरूप एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश दिए जाते है।

1. 'उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद' लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली–1998 के निरस्तत होने के फलस्वरूप आदेश सं0 1992–काविनी/राविप/29/98 दिनांक 11.12.1998 एवं उक्त विनियमावली –1998 के निर्गमन के उपरान्त उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेश निरस्त किए जाते है।
2. 'उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद' लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) विनियमावली–1970 (प्रथम संशोधन सहित) अब पुनः दिनांक 01.04.1984 से प्रभावी हो गयी है एवं इसके फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिकीय कर्मचारी के समयबद्ध वेतनमान/सेवानैवृत्तिक लाभ तदनुसार विनियमित होंगे तथा उपरोक्त सन्दर्भित माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के दिनांक 23.08.2007 के निर्णयानुसार देय धनराशि पर, याचिकाकर्ताओं को 10% (दस प्रतिशत) वार्षिक ब्याज अनुमन्य होगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 1222 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-8 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
2. निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
3. अधिशासी निदेशक (परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0), पिटकुल, 650 कांवली रोड़, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक, पिटकुल,...।
6. समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल,..।
7. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
9. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,..।
11. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाईल।

09/09/10
(एस0के0 रथ)
निदेशक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कॉरपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 1340 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / पी–8 दिनांक: 27 / 09 / 2010

कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0 1221 / मा0सं0एवंप्र0वि / पिटकुल / पी–8 दिनांक 08.09.2010 द्वारा पूववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की विज्ञप्ति सं0 531–विनियम– 23 / राविप–98 दिनांक 22.12.98 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 1998 को दिनांक 01.04.84 से (प्रभावी होने की तिथि) निरस्त कर दिए जाने के फलस्वरूप पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0 1222 / मा0सं0एवंप्र0वि / पिटकुल / पी–8 दिनांक 09.09.2010 में निहित आदेशों के अनुपालन में मुख्य अभियन्ता संवर्ग के लिपिकीय कार्मिकों को पूर्व में पूर्ववर्ती उ0प्र0रा0वि0 परिषद के आदेश सं0 1920–काविनी / राविप 29 / 98–62सी / 86 दिनांक 28.11.98 के प्राविधानानुरूप द्वितीय समयबद्ध वेतनमान के रूप में वेतनमान रू0 1850–2930 (दिनांक 01.01.96 से पुनरीक्षित रू0 5850–9400) तथा तृतीय समयबद्ध वेतनमान के रूप में वेतनमान रू0 2600–4000 (दिनांक 01.01.96 से पुनरीक्षित रू0 8550–13500) यथा देय तिथियों से अनुमन्य किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिकों को उच्चीकृत वेतनमानों में दिनांक 31.12.95 तक वेतन निर्धारण के लाभ के अतिरिक्त किसी भी बकाये (एरियर) का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

सन्दर्भित आदेशों में वर्णित / निहित प्राविधान / शर्ते यथावत् लागू रहेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 1340 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
2. निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
3. अधिशासी निदेशक (परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0), पिटकुल, 650 कांवली रोड़, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक, पिटकुल,...।
6. समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल,..।
7. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
8. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,..।
10. कार्यालय ज्ञाप पंजिका / कट फाईल।

(एस0के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0स)
का0 प्रति

C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\misc letter.doc

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.
PTCUL
कॉरपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांकः 1344/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/ पी–3 दिनांकः 27/09/2010

कार्यालय ज्ञाप

पिटकुल के कार्यालय ज्ञाप सं0 270/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ई–7 दिनांक 02.03.2009 तथा ज्ञाप सं0 317 मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ई–7 दिनांक 21.03.2009 द्वारा छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान लागू किए गए थे। पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने के उपरान्त समान वेतन एवं समान ग्रेड वेतन में पदोन्नत हुए कार्मिकों को जिन्हें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त नही हो रहा है, के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के ऊर्जा अनुभाग–1 के कार्यालय पत्रांक 2431/I/2010–05–90/TC/2008 दिनांक 24.09.2010 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

एतद्द्वारा उपरोक्त आदेशों के अनुक्रम में पिटकुल में कार्यरत ऐसे समस्त कार्मिक जो छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के उपरान्त समान वेतन बैण्ड एवं समान ग्रेड वेतन में पदोन्नत हुए है परन्तु उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, को पुनरीक्षित वेतनमान में एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 1344/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ईएस–4 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
2. निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
3. अधिशासी निदेशक (परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
4. मुख्यमहाप्रन्धक (परि0 एवं अनु0), पिटकुल, कांवली रोड़, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक.................................।
6. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता...।
8. उपमुख्य लेखाधिकारी(परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
9. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
11. कट फाईल/व्यैक्ति पत्रावली।

(एस0के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

G:\misc letter\.doc

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक अनुभाग
Human Resource & Administration

115

पत्रांक 1531 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी-3 दिनांक: 21/10/2010

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0 632/I/2009-05-90/टी0सी0/2008 दिनांक 2-3-2009 एवं आदेश सं0 430/I/(2)2009-05-90/टी0सी0/2008 दिनांक 19.03.2009 द्वारा ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने के स्वीकुति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप कारपोरेशन के आदेश सं0 270/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ई-7 दिनांक 2-3-2009 एवं आदेश सं0 317/मा0सं0एवंप्र0वि/पिटकुल/ई0-7 दिनांक 21.03.2009 द्वारा पावर टासमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के समस्त नियमित संवर्ग के कार्मिकों के वेतनमानों को दिनांक 1-1-2006 से प्रतिस्थापित किया गया था।

उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त आदेशों के कम में सचिव (ऊर्जा) उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक 2266/(2)/2010-05/109/2010 दिनांक 19.10.2010 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुरूप पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में दिनांक 01.01.2006 से 31.03.2009 तक नियुक्त अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओ, जो कि क्रमशः पूर्व वेतनमान रू0 5300-9100 के प्रारम्भिक वेतन स्तर रू0 5600 एवं वेतनमान रू0 8550-13500 के प्रारम्भिक वेतन स्तर रू0 9375 पर नियुक्त हुए है, को वर्णित प्रारम्भिक वेतन स्तर के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान में उसी ग्रेड वेतन पर फिटमेंट टेबिल के अनुसार वेतन निंधारण की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 1531/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-3 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेषक, पिटकुल, 7 बी, लेन-1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
2. निदेशक (मा0सं0), पिटकुल, 7 बी, लेन-1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
3. अधिशासी निदेशक (परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0), पिटकुल, 650 कांवली रोड़, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक/ उपमहाप्रबन्धक पिटकुल, ...।
6. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0) पिटकुल, 7 बी, लेन-1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
7. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी पिटकुल, 7 बी, लेन-1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल...।
9. कट फाईल/कार्यालय ज्ञाप पंजिका।

(एस0के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

कारपोरेट आफिसः 7-बी, लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून-248006. Corporate Office: 7-B, Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-248006
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-2762460,2766249

E:\ES-7.doc

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांकः 1623 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 16/11/2010

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0 1869/1(2)/2007–06(3)/72/2003 दिनांक 06.11.2007 के अनुपालन में कारपोरेशन के ज्ञाप सं0 2439/प्र0वि0/पिटकुल/सी–1 दिनांक 18–12–2007,कार्यालय ज्ञाप सं0 2440/प्र0वि0/पिटकुल/सी–1 दिनांक 18–12–2007 एवं ज्ञाप सं0 2441/प्र0वि0/पिटकुल/सी–1 दिनांक 18–12–2007 के माध्यमं से कारपोरेशन में कार्यरत कार्मिकों के समयबद्ध वेतनमान इस प्रतिबन्धाधीन संशोधित किये गये थे कि संशोधित वेतनमान निर्धारण के फलस्वरूप उपर्युक्त आदेशों के निर्गमन के दिनांक 18.12.2007 से पूर्व का कोई अवशेष देय नहीं होगा।

उपर्युक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 06.11.2007 के अनुक्रम/प्रतिबन्धों के तहत कारपोरेशन के उपर्युक्त आदेशों द्वारा संशोधित किये गये तृतीय समयबद्ध वेतनमान का भुगतान, सचिव ऊर्जा उत्तराखण्ड शासन देहरदून के पत्रांक–2325/1(2)/2010–06(3)/72/2003टी.सी. दिनांक 27 अक्टूबर 2010 द्वारा निर्गत अनापत्ति के अनुरूप चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को दिनांक 22.08.2007 से, अवर अभियन्ताओं को दिनांक 14.02.2007 से तथा तृतीय श्रेणी कार्मिकों को दिनांक 01.01.2007 से अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

उपरोक्त अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु कमशः 2010–11 में 70% (वर्ष 2009–10 का 40% एवं वर्ष 2010–11 का 30) तथा वर्ष 2011–12 में 30% राशि कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि खातों में तथा ई0पी0एफ0 धारक कार्मिकों को 12% धनराशि ई0पी0एफ0 अभिदान के रूप में कटौती करने के पश्चात शेष धनराशि को तीन वर्षीय बांड, एन0एस0सी0/पी0पी0एफ0 के रूप में जमा की जायेगी। सेवानिवृत्त हो चुके अथवा छः माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को अवशेष धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 1623 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पी–3 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, सचिव ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
3. निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक, परियोजना, पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0), पिटकुल, 650 कांवली रोड देहरादून।
6. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
7. वरिष्ठ प्रबन्धक(मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
8. उपमुख्य लेखाधिकारी(परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
9. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
11. कार्यालय ज्ञाप पंजिका।

(एस0के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 1741 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3

दिनांक 04/12/2010

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के विभिन्न आदेशों द्वारा संशोधित किये गये समयबद्व वेतनमानों को उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0 2538/1(2)/2010–06(3)/72/2003 दिनांक 30.11.2010 द्वारा उत्तराखण्ड के ऊर्जा निगमों में संशोधित किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप, पिटकुल में एतद्द्वारा नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट पदों के समयबद्व वेतनमान दिए गए प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार संशोधित किए जाते है:–

क्रम सं0	पदनाम	संशोधित समयबद्व वेतनमान	लागू होने की तथि
1	सहायक अभियन्ता	प्रथम समयबद्व वेतनमान–10650–15200 (अधिशासी अभियन्ता के पद का वेतनमान) द्वितीय समयबद्व वेतनमान–16400–20000 (अधीक्षण अभियन्ता के पद का वेतनमान) तृतीय समयबद्व वेतनमान–18400–22400 (मुख्य अभियन्ता स्तर–दो के पद का वेतनमान)	03.11.2008
2	लेखाधिकारी	तृतीय समयबद्व वेतनमान–18400–22400	13.11.2008
3	कार्मिक अधिकारी	तृतीय समयबद्व वेतनमान–18400–22400	13.11.2008
4	लेखाकार	तृतीय समयबद्व वेतनमान–16400–20000	13.11.2008
5	सहायक लेखाकार	तृतीय समयबद्व वेतनमान–14300–18300	13.11.2008
6	आशुलिपिक श्रेणी–II (मण्डल संवर्ग)	तृतीय समयबद्व वेतनमान–10650–15200	03.11.2008
7	ट्रेसर	तृतीय समयबद्व वेतनमान–6000–10400	13.11.2008
8	कुशल श्रमिक/पेट्रोलमैन (सीधी भर्ती के माध्यम से वेतनमान 3050–4590 पर नियुक्त)	तृतीय समयबद्व वेतनमान–5300–8600	22.08.2007

क्रमश:................पेज–2

112

प्रतिबन्धः—

1. वर्णित संशोधन दिनांक 06.11.2007 तक नियुक्त कार्मिको को ही अनुमन्य होंगे । इसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी तथा उ0प्र0 के ऊर्जा निगमों में किए गए संशोधन तक सीमित रखी जाये।
2. उक्त सुविधा दिनांक 31.03.2009 तक ही अनुमन्य होगी तदोपरान्त इस सम्बन्ध में राज्य में लागू सुनिश्चित स्तरोन्नयन योजना (ए0सी0पी0) के अनुसार ही सुविधा अनुमन्य होगी।
3. अवशेष धनराशि का भुगतान दो समान किस्तों में (वित्तीय वर्ष 2010—11 में 50 प्रतिशत तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2011—2012) में किया जायेगा ।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 1741 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पी—3 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, सचिव ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7बी, लेन—1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
3. निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7बी, लेन—1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
4. निदेशक (परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0), पिटकुल, 650 कांवली रोड देहरादून।
6. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
7. वरिष्ठ प्रबन्धक(मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन—1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
8. उपमुख्य लेखाधिकारी(परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
9. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, 7बी, लेन—1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
11. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाइल ।

(एस0के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

PTCUL
POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 393/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 17/03/2011

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा कारपोरेशन के समयबद्ध वेतनमान संशोधन विषयक कार्यालय ज्ञाप सं0 1741/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 04–12–2010 के प्रस्तर 1 कमांक 6 के संशोधन में उ0प्र0पावर कारपोरेशन के आदेश सं0 1178–काविनी एववे0प्र0–29/पाकालि/2008–4(31)पी/86(टी0सी0–प्रथम) दिनांक 3–11–2008 के अनुरूप निम्नवत् आदेश किये जाते हैं :–

(क) दिनांक 02–03–1988 से पूर्व नियुक्त आशुलिपिक–श्रेणी–2 (मण्डल संवर्ग) को अपुनरीक्षित वेतनमान में अनुमन्य तृतीय समयबद्व वेतनमान रू0 8,550–13,500 के स्थान पर रू0 10,650–15,200 दिनांक 3–11–2008 से अनुमन्य किया जाता है ।

(ख) दिनांक 02–03–1988 व उसके पश्चात वेतनमान रू0 1200–1800 में नियुक्त आशुलिपिक –श्रेणी–3(खण्ड संवर्ग) को समयबद्व वेतनमानों की अनुमन्यता हेतु वेतनमान रू0 1,350–2,160 में प्रकल्पित नियुक्त मानते हुए इन आशुलिपिकों को वर्तमान में अनुमन्य तृतीय समयबद्व वेतनमान रू0 8,550–13,500 के स्थान पर रू0 10,650–15,200 दिनांक 03–11–2008 से अनुमन्य किया जाता है । उक्त अनुमन्यता पर पूर्व की तिथि से कोई वेतन निर्धारण/अवशेष अनुमन्य नहीं कराया जायेगा ।

(ग) उपरोक्त समयबद्व वेतनमान अनुमन्य किये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिकों को दिनांक 03–11–2008 को रू0 8,550–13,500 के वेतनमान में जिस स्तर पर वेतन आहरित कराया जा रहा है, उच्च वेतनमान रू0 10,650–15,200 में वेतन निर्धारण समान स्तर पर होने की दशा में उसी स्तर पर अन्यथा की स्थिति में अगले स्तर पर वेतन निर्धारण किया जायेगा ।

ज्ञापांक 1741/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 04–12–2010 में इंगित शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे ।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक /मा0सं0एवंप्र0वि0/पी–3 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, सचिव ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
3. निदेशक (परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0), पिटकुल, 650 कांवली रोड देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
6. वरिष्ठ प्रबन्धक(मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
7. उपमुख्य लेखाधिकारी(परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
8. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
10. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाइल ।

(एस0के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

PTCUL
POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांकः 394 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक 17 / 03 / 2011

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन के निदेशानुसार, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश सं0 566–काविनी / पाकालि–20 / 07–4पी / 86टी0सी0–प्रथम दिनांक 22–8–2007 के अनुरूप निर्गत समयबद्व वेतनमान संशोधन विषयक कारपोरेशन के ज्ञापांक 2439 / प्र0नि0 / पिटकुल / सी–1 दिनांक 18–12–2007 अनुक्रम तथा ज्ञापांक 1741 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक 04–12–2010 के प्रस्तर 1 क्रमांक 8 के संशोधन में उ0प्र0पावर कारपोरेशन के आदेश सं0 1177–काविनी एवंवे0प्र0–29 / पाकालि / 2008–4पी / 86(टी0सी0–प्रथम) दिनांक 3–11–2008 के अनुरूप निम्नवत् आदेश किये जाते हैं :–

(क) अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 3200–4900(पूर्व अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 1000–1360) में सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में अनुमन्य तृतीय समयबद्व वेतनमान रू0 4500–7500 (पूर्व अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 1350–2160)के स्थान पर रू0 5300–8600 दिनांक 22–8–2007 से अनुमन्य किया जाता है ।

(ख) अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 900–1190 में दिनांक 31–12–95 तक नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जिन्हें दिनांक 01–01–1996 से इसके संगत पुनरीक्षित वेतनमान रू0 3050–4590 में रु0 3200 प्रारम्भिक न्यूनतम वेतन स्तर अनुमन्य किया गया है, उन्हें अपुनरीक्षित वेतनमान में अनुमन्य तृतीय समयबद्व वेतनमान रू0 4500–7500 के स्थान पर रू0 5300–8600 दिनांक 3–11–2008 से अनुमन्य किया जाता है । यह समयबद्व वेतनमान अनुमन्य किये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिकों को दिनांक 3–11–2008 को रू0 4500–7500 के वेतनमान में जिस स्तर पर वेतन आहरित कराया जा रहा है, उच्च वेतनमान रू0 5300–8600 में उसी स्तर पर अन्यथा की स्थिति में अगले स्तर पर वेतन निर्धारण किया जायेगा ।

ज्ञापांक 1741 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक 04–12–2010 में इंगित शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे ।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पी–3 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, सचिव ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
3. निदेशक (वित्त), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
4. निदेशक (परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0), पिटकुल, 650 कांवली रोड देहरादून।
6. समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
7. वरिष्ठ प्रबन्धक(मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
8. उपमुख्य लेखाधिकारी(परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
9. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी / वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
11. कार्यालय ज्ञाप पंजिका / कट फाइल ।

(एस0के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.
कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांकः 711 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-3 दिनांकः 30/05/2011

कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के कार्यालय ज्ञाप सं0 317/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ई0-7 दिनांक 21.03.2009, सपठित शासनादेश सं0 430/I/(2)2009-05-90/टी0सी0/2008 दिनांक 19.03.2009 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0 1344/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी-3 दिनांक 27.09.2010 के अनुक्रम में कतिपय इकाइयों द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में पावर ट्रांसमिशन कारपारेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू किए जाने के उपरान्त पदोन्नत हुए ऐसे पूर्णकालिक कार्मिकों जिन्हें प्रोन्नति पर पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, को पुनरीक्षित वेतनमानों में प्रोन्नति होने पर वेतन बैंड में प्राप्त वेतन व ग्रेड-वेतन के योग की 3% धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतन वृद्धि आगणित व अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 711 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-3 /तद् दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक, पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0, देहरादून।
2. निदेशक (परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
3. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0), पिटकुल, 650 कांवली रोड़, देहरादून।
4. महाप्रबन्धक (वित्त) एवं कम्पनी सचिव पिटकुल, 7 बी, लेन-1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक/ उपमहाप्रबन्धक पिटकुल, ...।
6. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0) पिटकुल, 7 बी, लेन-1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
7. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी पिटकुल, 7 बी, लेन-1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, 7 बी, लेन-1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल..।
10. कट फाईल/कार्यालय ज्ञाप पंजिका।

(एस0के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक(मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांकः 918 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3

दिनांक 02/07/2011

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन द्वारा 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अविनविकरण/पुनरीक्षण विषयक निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 835/XXVII(7)/2011 दिनांक 28–2–2011 को पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लि. के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों हेतु संगत अन्य शासनादेशों सहित कार्यालय ज्ञाप संख्या 421/XXVII(7)/2008 दिनांक 27–10–2008 द्वारा कतिपय अन्य संशोधनों सहित अंगीकृत किया गया है। शासन के अब उक्त आदेश सं0 835/XXVII(7)/2011 दिनांक 28–2–2011 के अनुक्रम के प्रस्तर–2 को निम्नवत् अंगीकार किये जाने की पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लि0 हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

वर्तमान व्यवस्था	एतदद्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
"पेंशन का निर्धारण इस प्रकार किया जाये कि दिनांक 01.01.2006 से लागू वेतनमान में वेतनबैंड के न्यूनतम् तथा वेतन पुनरीक्षित होने के ठीक पूर्व जिस पद पर कर्मचारी ने कार्य किया हो, अनुमन्य ग्रेड पे को जोडकर न्यूनतम 50 प्रतिशत से कम पेंशन निर्धारित न हो, अर्थात 01.01.2006 के पूर्व के पद के वेतनमान को दि0 01.01. 2006 के समतुल्य बैण्ड पे के न्यूनतम् तथा ग्रेड पे का 50 प्रतिशत पद का नयूनतम् पेंशन अर्ह होगी परन्तु ऐसे प्रकरणों में अर्ह सेवा का अनुपात आगणित करना आवश्यक होगा ।"	"पेंशन का निर्धारण इस प्रकार किया जाये कि दिनांक 01.01.2006 से लागू वेतनमान में वेतनबैंड के न्यूनतम् तथा वेतन पुनरीक्षित होने के ठीक पूर्व जिस पद पर कर्मचारी ने काम किया हो, के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के सादृश (Corresponding) वेतनबैंड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी । एच0ए0जी0 तथा उच्च वेतनमानों के लिये यह वेतनमान के न्यूनतम् का 50 प्रतिशत होगी ।"

2. दिनांक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व लागू वेतनमान तथा दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतनबेंड, जैसा कि शासनादेश सं0 395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17.10 08 में दिये गये हैं, में न्यूनतम् वेतन एवं ग्रेड पे एवं दिनांक 01 जनवरी, 2006 को न्यूनतम् पेंशन की धनराशि संलग्न तालिका में दिये गये हैं। प्रतिबन्ध यह होगा कि जहॉ अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है, वहॉ यह धनराशि अनुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में यह रू0 3500 प्रतिमाह से कम नहीं होगी ।
3. दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पूर्व सेवानिवृत्त एवं पुनर्योजित पेंशनरों के पुनर्योजन पर जिनके वेतन का निर्धारण उनके द्वारा आहरित अन्तिम वेतन में से शुद्व पेंशन (राशिकृत पेंशन को सम्मिलित करते हुए) घटाकर कर दिया गया है, को इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन का लाभ, पुनर्योजन की अवधि समाप्त होने की अगले तिथि से देय होगा ।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

कारपोरेट आफिसः 7–बी, लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून–248006. **Corporate Office:** 7-B, Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-248006
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-2762460,2766249

105

पत्रांक 918 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पी–3 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, सचिव ऊर्जा एवं अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, सचिवालय भवन, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
3. निदेशक (परियोजना)/ (परि0 एवं अनु0) पिटकुल, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0 एवं अनु0), पिटकुल, 650 कांवली रोड देहरादून।
5. महाप्रबन्धक (वित्त) (प्रभारी) एवं कम्पनी सचिव, पिटकुल, देहरादून।
6. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
7. वरिष्ठ प्रबन्धक(मा0सं0), पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
8. उपमुख्य लेखाधिकारी(परियोजना), पिटकुल, ऊर्जा भवन परिसर, देहरादून।
9. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, 7बी, लेन–1, बसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
10. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाइल ।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

PTCUL
POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARANCHAL LIMITED

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक अनुभाग
Human Resource & Administration

पत्रांकः 1550/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 28/08/2012

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के निदेशक मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णय एवं उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 638/I(2)/2012-07-04/2012 दिनांक 27.08.2012 द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के अनुरूप मान0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा याचिका सं0 2007(S/B)/99 एवं याचिका सं0 702(S/B)/2003 में पारित निर्णय दिनांक 11.09.2007 के अनुपालन में पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के कार्यालय ज्ञाप सं0–270–पी/राविप–तीस/92–4पी/86 दिनांक 11.03.1992 द्वारा जारी आदेशों को अवक्रमित करते हुए अवर अभियन्ताओं एवं अभियन्ता अधिकरियों को समयबद्ध वेतनमानों की अनुमन्यता विषयक कार्यालय ज्ञाप सं0–965–पी/राविप–तीस–4पी/1986 दिनांक 19.06.1989 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश सं0 77–काविनि एवं वे0प्र0–29/पाकालि/09–4(VI)–प्रथम–पी/86 (टी0सी0) दिनांक 17.01.2009 द्वारा किये गये संशोधनों को पिटकुल में अंगीकार किया जाता है।

उक्त संशोधित आदेश में प्रभावी की गयी व्यवस्था के परिणामस्वरूप, सम्बन्धित प्रोन्नत अभियन्ताओं को यह विकल्प होगा कि वह अपनी लाभकारी स्थिति के दृष्टिगत चाहें तो अवर अभियन्ता अथवा सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति की तिथि से अनुमन्य होने वाले समयबद्ध वेतनमान का विकल्प चुन सकते हैं ।

यह व्यवस्था दिनांक 31.03.2009 से पूर्व अनुमन्य किये गये समयबद्ध वेतनमान तक सीमित है तदोपरान्त राज्य में लागू "सुनिश्चित स्तरोन्यन योजना (ए0सी0पी0)" के अनुसार ही सुविधा अनुमन्य होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 1550/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष, पिटकुल, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, लेन–1, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
3. निदेशक (परि0एवंअनु0)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
4. महाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल, 7–बी, लेन–1, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल, ...।
6. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया कार्यालय ज्ञाप की प्रति कारपोरेशन की वैबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)/उपमुख्य लेखाधिकारी, पिटकुल, देहरादून।
8. उपमुख्य कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, 7–बी, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, ...।
10. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाईल।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)

कारपोरेट आफिसः 7–बी, लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून–248006. **Corporate Office:** 7-B, Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-248006
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-2762460,2766249

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक अनुभाग
Human Resource & Administration

पत्रांकः 1554 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3

दिनांक 28 /08/2012

कार्यालय ज्ञापन

शासनादेश सं0 1869/1(82)/2007–6(3)/72/2003 दिनांक 06.11.2007 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 91/काविनि/पा0का0लि0–29/07–4काविनि/94 दिनांक 14.02.2007 के अनुपालन में पावर ट्रासमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में आदेश 2440/प्र0नि0/पिटकुल/सी–1 दिनांक 18.12.2007 से अवर अभियन्ताओं के संशोधित समयबद्ध वेतनमान लागू किया गया। उक्त के अनुक्रम में, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश सं0 782–काविनि एवं वे0प्रा0–29/पाकालि/2009–4–काविनि/94 दिनांक 26.06.2009 एवं सपठित आदेश 1746–काविनि एवं वे0प्र0–29/ पाकालि/09–4–काविनि/97 दिनांक 19.12.2009 व अन्य संगत आदेशों द्वारा अवर अभियन्ताओं के संशोधित किये गये तृतीय समयबद्ध वेतनमान को पिटकुल के निदेशक मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णय एवं उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 638/I(2)/2012-07-04/2012 दिनांक 27.08.2012 द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के अनुरूप पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में दिनांक 03.11.2008 अथवा अग्रेत्तर यथा अनुमन्यता की तिथि (किन्तु 31.03.2009 के पश्चात् नहीं) अधीक्षण अभियन्ता के पद का वेतनमान (रू0 16400–450–20000, प्रारम्भिक वेतन रू0 17,300) आवश्यक संशोधनों सहित निम्न प्रतिबन्धाधीन अंगीकृत किए जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. उपर्युक्त व्यवस्था उत्तर प्रदेश के ऊर्जा निगमों में किये गये संशोधन तक सीमित रखी जाएगी।
2. उपर्युक्त व्यवस्था का लाभ दिनांक 31.03.2009 तक समयबद्ध वेतनमान प्राप्त करने वाले कार्मिकों को ही अनुमन्य होगा। दिनांक 31.03.2009 के पश्चात् इस सम्बन्ध में राज्य में लागू ''सुनिश्चित स्तरोन्यन योजना (ए0सी0पी0)'' के अनुसार ही सुविधा अनुमन्य होगी।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के उक्त आदेश सं0 782–काविनि एवं वे0प्रा0–29/ पाकालि/ 2009–4–काविनि/94 दिनांक 26.06.2009 एवं सपठित आदेश 1746–काविनि एवं वे0प्र0–29/ पाकालि/09–4–काविनि/97 एवं आदेश दिनांक 19.12.2009 में सन्दर्भित आदेश संख्या 175–काविनि एवं वे0प्र0–29/पाकालि/09 दिनांक 19.02.2009 के स्थान पर पिटकुल के आदेश संख्या 317/

क्रमशः....पेज–2

मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ पी–3 दिनांक 21.03.2009 पढ़ा जाएगा तथा सम्बन्धित कार्मिकों को इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से 90 दिनों के भीतर संशोधित विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 1554 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष, पिटकुल, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, लेन–1, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
3. निदेशक (परि0एवंअनु0)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
4. महाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल, 7–बी, लेन–1, वसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल, ...।
6. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया कार्यालय ज्ञाप की प्रति कारपोरेशन की वैबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)/उपमुख्य लेखाधिकारी, पिटकुल, देहरादून।
8. उपमुख्य कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, 7–बी, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, ...।
10. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाईल।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)

कारपोरेट आफिसः 7–बी, लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून–248006. **Corporate Office:** 7-B, Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-248006
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-2762460,2766249

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 1555 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–3 दिनांक: 28/08/2012

कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के निदेशक मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णय एवं उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 638/I(2)/2012-07-04/2012 दिनांक 27.08.2012 द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के अनुरूप निम्न तालिका में उल्लिखित श्रेणी के कार्मिकों के तृतीय समयबद्ध वेतनमान (दिनांक 31 मार्च, 2009 से पूर्व अनुमन्य कराये गये) दिनांक 01–01–1996 अथवा 19 वर्ष की अनवरत् सेवा पूर्ण करने पर वास्तविक अनुमन्यता तिथि, जो भी बाद में हो, से अनुमन्य किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	नियुक्ति का पद एवं वेतनमान	पूर्वादेश एवं उसके द्वारा अनुमन्य उच्चीकृत वेतनमान एवं अनुमन्यता तिथि
(1)	(2)	(3)
1	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक (वेतनमान रू0 3,050–4,590)	2439/प्र0नि0/पिटकुल/सी–1दि0 18.12.2007 रू0 4,500–7,500 22–08–2007
	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक–अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 900–1190 में दि0 31.12.1995 तक नियुक्त कार्मिकों, जिन्हें दि0 01.01.1996 से इसके संगत पुनरीक्षित वेतनमान रू0 3,050–4,590 में रू0 3,200/– प्रारम्भिक न्यूनतम वेतन स्तर अनुमन्य किया गया है।	394/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 17.03.2011 रू0 5300–8600 दि0 03.11.2008
	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक (वेतनमान रू0 3,200–4,900)	394/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 17.03.2011 रू0 5300–8600 दि0 22.08.2007
2	वेतनमान रू0 4,200–6,400 में नियुक्त कार्यालय सहायक श्रेणी–III, टी0जी0–II एवं अन्य समस्त कार्मिक	2441/प्र0नि0/पिटकुल/सी–1 दि0 18.12.2007 रू0 8,550–13,500 22.06.2005
	वेतनमान रू0 4,500–7,500 एवं रू0 5,300–8,600 में नियुक्त कार्मिक	2441/प्र0नि0/पिटकुल/सी–1 दि0 18.12.2007 रू0 8,550–13,500 22.06.2005
3	आशुलिपिक श्रेणी–3 (वेतनमान रू0 4,200–6,400) एवं आशुलिपिक श्रेणी–2 (वेतनमान रू0 4,500–7,500)	393/प्र0नि0/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दि0 17.03.2011 रू0 10,650–15,200 दि0 03.11.2008

क्रमशः.....पेज–2

कारपोरेट आफिसः 7–बी, लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून–248006. Corporate Office: 7-B, Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-248006
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-2762460,2766249

संलग्नक—1

कार्यालय ज्ञाप सं0 1555/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी—3 दिनांक 28.08.2012 के प्राविधानानुसार
मात्र प्रकल्पित वेतन निर्धारण हेतु विकल्प—पत्र

*(1) मै..दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन करता हूँ।

*(2) मै..अपने मूल/स्थानान्पन्न पद के निम्नांकित वर्तमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प प्रस्तुत करता हूँ, जब तक कि:—

*मेरी अगली वेतन वृद्धि की तिथि...।

मेरी बाद की वेतन वृद्धि की तिथि जिससे मेरा वेतन बढकर..............................न हो जाए।

मै वर्तमान वेतनमान में वेतन प्राप्त करना बन्द कर दूँ/छोड दूँ।

वर्तमान वेतनाम..

हस्ताक्षर.......................................

नाम...

पदनाम...

कार्यालय का नाम........................

दिनांक.......................................

स्थान...

* यदि लागू न हो तो काट दिया जाए।

कारपोरेट आफिसः 7—बी, लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून—248006. Corporate Office: 7-B, Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-248006
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-2762460,2766249

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक अनुभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक: 2000 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–3 दिनांक: 20/11/2012

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक मण्डल के 38वीं बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुरूप कारपोरेशन में डाटा एन्ट्री आपरेटर पद पर वेतनमान रू0 5200–20200, ग्रेड वेतन रू0 2600 में कार्यरत कार्मिकों को वेतनमान रू0 5200–20200 में ग्रेड वेतन रू0 3000 (रू0 तीन हजार) दिनांक 30.05.2012 से अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है ।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक : 2000/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांकित :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, लेन 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित ।
2. निदेशक (परि0एवंअनु0)/(परियोजना)/(वित्त) पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, पिटकुल ....।
4. महाप्रबन्धक (वित्त)(प्रभारी) पिटकुल, 7–बी, लेन 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
5. उपमहाप्रबन्धक(सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत आदेश को निगम की वैवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल ....।
7. उपमुख्य कार्मिक अधिकारी, 7–बी, लेन 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल ....।
9. कार्यालय ज्ञाप/कट फाईल।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)

कारपोरेट आफिस: 7–बी, लेन नं0 1, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून–248006. **Corporate Office:** 7-B, Lane No. 1, Vasant Vihar Enclave, Dehradun-248006
Ph. No.: 0135-2762472, 2762473 Fax No.: 0135-2762460,2766249

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक अनुभाग
Human Resource & Administration

पत्रांकः 30 /मा0सं0एवंप्र0अनु/पिटकुल/पी0–3 दिनांकः 05/01/2013

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के ज्ञापांक 985/काविनि एवं वे0प्र0–29/11–17 काविनि एवं वे0प्र0/08 दिनांक 05.11.2011 से अनुमन्य कराये गये ग्रेड वेतन रू0 5400 के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 6600 को यूजेविएन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 23.03.2012 को एजेन्डा सं0–62(एच0आर0) में पारित प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश सं0 1980/ I(2)/ 2012/ 04/21/ 2012/ऊर्जा अनुभाग– 2 दिनांक 18.12.2012 के माध्यम से शासनादेश के निर्गमन के दिनांक से इस प्रतिबन्धाधीन अंगीकार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है कि उक्त लाभ, ऐसे पद जिनके पदधारक पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद से नियुक्त हो तथा जिन्हें समयबद्ध वेतनमान के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2009 तक अथवा उससे पूर्व तृतीय समयबद्ध वेतनमान के रूप में रू0 8550–13500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800, ग्रेड वेतन रू0 5400) का वेतनमान अनुमन्य है और ऐसे पदधारको के लिए इससे उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था उपलब्ध नही है, को अनुमन्य होगा। इसके फलस्वरूप पे–बैण्ड, पूर्व वेतन निर्धारण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शासन के निर्देशानुसार भविष्य में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के नियम स्वतः लागू नहीं किये जायेंगे।

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के निदेशक मण्डल की 38वीं बैठक में पारित निर्णय के अनुसार उत्तराखण्ड शासन की उपर्युक्त स्वीकृति के अनुरूप, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के ज्ञापांक 985/काविनि एवं वे0प्र0–29/पकालि/11–17 काविनि एवं वे0प्र0/08, दिनांक 05.11.2011 को उक्त शासनादेश के निर्गमन के दिनांक 18.12.2012 से पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में एतद्द्वारा अंगीकृत किया जाता है।

यह आदेश उक्त शासनादेश के निर्गमन के दिनांक 18.12.2012 से प्रभावी होगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 30 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के सूचनार्थ।
2. निदेशक (परि0एवंअनु0)/(परियोजना)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल..............................।
4. महाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल,देहरादून।
5. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया कार्यालय ज्ञाप की प्रति कारपोरेशन की वैबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. उपमुख्य कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, देहरादून।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल...........।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी, पिटकुल, परियोजना लेखा स्कन्ध, देहरादून।
9. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाईल।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)

E:\Backup\D Drive\New Computer-1\Policies- Cirs & Guidelines\P-3\P-3 OM.doc

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.
कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration Deptt.

पत्रांक: 573 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी–3 दिनांक: 12.04.2013

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.03.2013 को सम्पन्न 40 वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 से दिनांक 12.06.2007 से 19.07.2010 तक सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों/आश्रित पारिवारिक पेन्शनरों (जो उत्तराखण्ड शासन से पेन्शन आहरित कर रहें है) को पिटकुल के आदेश सं0 सं0–1555/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 28.08. 2012 द्वारा दिनांक 01.01.1996 अथवा 19 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण करने पर वास्तविक अनुमन्यता तिथि, जो भी बाद मे हो से उच्चीकृत तृतीय समयबद्ध वेतनमान (दिनांक 31.03.2009 तक अनुमन्य कराये गये) की अनुमन्यता के फलस्वरूप निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर दिनांक 20.07.2010 से देय बढी हुई पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन के भुगतान हेतु निर्णय लिया गया। जिसमें भुगतान हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाती है :–

1. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 से सेवानिवृत्त/दिवंगत कार्मिकों का पिटकुल के आदेश सं0 1555/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 28.08.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार दिनांक 01.01.1996 अथवा 19 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण करने पर वास्तविक अनुमन्यता तिथि, जो भी बाद मे हो से उच्चीकृत तृतीय समयबद्ध वेतनमान (दिनांक 31.03.2009 तक अनुमन्य कराये गये)में उनका वेतन निर्धारण किया जायेगा जिसका अवशेष दिनांक 20.07.2010 से अनुमन्य होगा।
2. दिनांक 12.06.2007 से दिनांक 19.07.2010 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों/दिवंगत कार्मिकों या किसी अन्य कारण से सेवा से पृथक हुए कार्मिकों को दिनांक 20.07.2010 से देय पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन प्रकल्पित वेतन के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
3. दिनांक 01.01.1996 से उच्चीकृत तृतीय समयबद्ध वेतनमान के फलस्वरूप दिनांक 20.07.2010 से पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन की गणना करते समय राशिकरण, उपादान तथा अवकाश नकदीकरण आदि की राशि पुर्नरीक्षित नही की जायेगी।
4. सेवानिवृत्त कार्मिकों/दिवंगत कार्मिकों का वेतन निर्धारण कारपोरेशन आदेश सं0 1555/मा0सं0एवंप्र0वि0/ पिटकुल/पी–3 दिनांक 28.08.2012 के अनुसार किया जायेगा तत्पश्चात् कार्मिक के पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन पुर्नरीक्षित करने हेतु सम्बन्धित खण्ड कार्यालय, जहां से कार्मिक सेवानिवृत्त या दिवंगत हुआ था, पेन्शन प्रपत्रों को तैयार कर लेखा हकदारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून द्वारा निर्गत प्राधिकार पत्र संलग्न करते हुए स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी कारपोरेट वित्त विभाग, पिटकुल, देहरादून को प्रेषित करेगा।
5. कारपोरेट वित्त विभाग, पिटकुल, देहरादून सेवानिवृत्त कार्मिकों/दिवंगत कार्मिकों के दिनांक 01.01.1996 से उच्चीकृत तृतीय समयबद्ध वेतनमान के फलस्वरूप निर्धारित प्रकल्पित वेतन के आधार पर देय पेन्श्न/पारिवारिक पेन्शन निर्धारित करेंगे एवं निदेशक लेखा हकदारी, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन प्राधिकार पत्र के अनुसार देय पेन्शन एवं वर्तमान में प्रकल्पित वेतन के आधार पर देय पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन के अन्तर की धनराशि के लिये पुनरीक्षित पेन्शन भुगतान आदेश निर्गत करेंगे।
6. पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन भुगतान आदेश में पेन्शनर/पारिवारिक पेन्शनर का बैंक खाता सं0, बैंक का नाम व पता अंकित किया जाना अनिवार्य है। यदि पेन्शनर/पारिवारिक पेन्शनर पंजाब नैशनल बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य बैंक से पेन्शन आहरित करना चाहता है तो सम्बन्धित बैंक का IFS Code तथा RTGS Code अंकित किया जाना आवश्यक है। कारपोरेट वित्त विभाग पिटकुल देहरादून पुनरीक्षित पेन्शन भुगतान आदेश निर्गत करने के उपरान्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को भुगतानार्थ प्रेषित करेंगे।

क्रमशः....पेज–2

7. सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पुनरीक्षित पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन भुगतान आदेश प्राप्त होने के पश्चात् प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन का भुगतान निधि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन के भुगतान हेतु निधि महाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल मुख्यालय, देहरादून द्वारा मांग पत्र के आधार पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को वेतन एवं भत्तों के साथ ही निर्गत की जायेगी।
8. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन भुगतान के लिये पेरोल में एक अलग शीर्षक खोलेंगे, जिसके अंतर्गत पेन्शनरों/पारिवारिक पेन्शनरों को पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
9. दिनांक 12.06.2007 से दिनांक 19.07.2010 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों/पारिवारिक पेन्शनरों को दिनांक 20.07.2010 से 31.03.2013 तक प्रकल्पित वेतन के आधार पर पुनरीक्षित पेन्शन में से लेखा हकदारी द्वारा स्वीकृत पेन्शन/कोषागार द्वारा देय पेन्शन को कम करते हुए अन्तर की राशि का भुगतान कार्मिकों के बैंक खातें मे सीधे भुगतान सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा दिनांक 01.04.2013 से प्रतिमाह उक्त देय पेन्शन/पारिवारिक पेन्शन का भुगतान किया जायेगा।
10. सेवानिवृत्त कार्मिकों/पारिवारिक पेन्शनर के जीवित रहने का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष नवम्बर माह में दिया जाना आवश्यक है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक :573 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी0–3, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (परियोजना/परि0एवंअनु0)/(वित्त), पिटकुल, देहरादून।
3. महाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
6. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वह पे–रोल सॉफटवेयर में पेन्शन भुगतान से सम्बन्धित कार्यवाहीं सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें। साथ ही विषयगत् आदेश को निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,..।
8. कार्यालय ज्ञापन पंजिका/कट फाइल।

(एस0के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)

PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांकः 186 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 दिनांकः 05 .07.2017

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ उत्तराखण्ड लि0 के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2009 के बाद नियुक्त / प्रोन्नत अवर अभियन्ताओं तथा सहायक अभियन्ताओं को दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 31.03.2009 के मध्य नियुक्त / प्रोन्नत अवर अभियन्ताओं तथा सहायक अभियन्ताओ की भांति क्रमशः वेतन रू0 5600 एंव रू0 9375 के आधार पर शासनादेश संख्या 01/I(2)/2017/6(2)-3/2015 दिनांक 03.01.2017 एवं संख्या 24/I(2)/2017-06(2)-03/2015 दिनांक 04.01.2017, जिसे कारपोरेशन के पत्र संख्या 144 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक 28.01.2017 द्वारा समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II) / महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक पिटकुल को अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु प्रसारित किया गया है, के अनुसार नव नियुक्त / प्रोन्नत अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ताओं को ए0सी0पी0 / समयबद्ध वेतनमान पर निम्न फिटमेंट टेबल के आधार पर दिनांक 02.01.2017 तक बिना अवशेष के भुगतान के वेतन निर्धारण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

पदनाम	पंचम वेतन आयोग में देय न्यूनतम वेतन एवं पद का वेतनमान	छठे वेतन आयोग में उक्त आदेश से पूर्व वर्तमान में अनुसूची 'क' के अनुसार नियुक्ति/ प्रोन्नति/ ए0सी0पी0/ समयबद्ध वेतनमान में देय वेतन एवं ग्रेड वेतन	उक्त शासनादेश फिटमेंट टेबल के अनुसार छठे वेतन आयोग में नियुक्ति/ प्रोन्नति पर देय वेतन एवं ग्रेड वेतन
अवर अभियन्ता	रू0 5600.00 (5300–9100)	रू0 9860+4200 = रू0 14060 दिनांक 23.11.2015 से रू0 12540+4600=रू0 17140.00 देय	रू0 10420.00+4200 = रू0 14620.00 दिनांक 23.11.2015 से रू0 12540+4600= रू0 17140.00 देय
सहायक अभियन्ता	रू0 9375.00 (8550–13500)	रू0 15600+5400 = रू0 21000.00	रू0 17440.00 + 5400 =रू0 22840.00 (अवर अभियन्ता संवर्ग की प्रथम ए0सी0पी0 / समयबद्ध वेतनमान)

उपरोक्त आदेश प्रबन्ध निदेशक महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किये जा रहे है।

निदेशक (मा0सं0)

पत्रांकः 186 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव (वि0श्रे0)–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (परियोजना) / (वित्त) / (परिचालन), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक पिटकुल...।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक पिटकुल..............................।
5. अधिशासी अभियन्ताा (सू0एवंप्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता पिटकुल.......................................।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)

PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांकः 1641 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांकः 28.11.2017

कार्यालय ज्ञाप

सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों में पुनरीक्षित वेतनमान एवं भत्तों की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 1199/I(2)/2017–05–34/2016 दिनांक 25.09.2017 एवं वित्त विभाग (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 की अधिसूचना संख्या–290/xxvii(7)50(16)/2016 दिनांक 28.12.2016, शासनादेश संख्या 291/xxvii(7)30(8)/2016 दिनांक 29.12.2016 तथा शासनादेश संख्या 165/xxvii(7)30(7)/2017 दिनांक 12.09.2017 के अनुक्रम में दिनांक 01.01.2016 को निगम की पूर्णकालिक सेवा में कार्यरत नियमित कार्मिकों (प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नियमित कार्मिकों सहित) तथा उसके बाद नव नियुक्ति कार्मिकों के वेतन निर्धारण, विकल्प तथा प्रक्रिया विषयक कार्यवाही संलग्न उपरोक्त शासनादेश दिनांक 25.09.2017 के अनुसार संपादित की जायेगी।

2. सातवां वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप अवशेष वेतन का भुगतान दिनांक 01.01.2017 से नगद देय होगा तथा दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2016 तक अवशेष वेतन भत्तों एवं एरियर के भुगतान हेतु पृथक से आदेश किये जायेंगे। शासन द्वारा जब तक भत्ते पुनरीक्षित नहीं किये जाते तब तक पूर्व की भाँति पुराने वेतनमान के स्तर पर ही भत्ते देय होंगे।
3. उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 290 दिनांक 28.12.2016 एवं आदेश संख्या 165 दिनांक 12.09.2017 में उल्लिखित वेतनमानों से भिन्न ग्रेड वेतन के वेतनमानों का पुनरीक्षण उनके निकटतम न्यूनतम वेतन मैट्रिक्स में संरक्षित करते हुए किया जायेगा।
4. निगम में कार्यरत कार्मिकों को पूर्व में अनुमन्य समयबद्ध वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुये संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम0ए0सी0पी0एस0), उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–11/xxvii(7)30(14)/2017 दिनांक 17.02.2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार दिनांक 01.01.2017 से लागू होगी। दिनांक 01.01.2016 से प्रोन्नति/ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण अधिसूचना संख्या 290 दिं0 28.12.2016 तथा शासनादेश संख्या 165 दिनांक 12.09.2017 में उल्लिखित वेतनमानों से भिन्न ग्रेड वेतन के मैट्रिक्स में निकटतम न्यूनतम में किया जायेगा। निगम आदेश संख्या 1216/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 16.07.2013 एवं संख्या 1811/ मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 10.11.2016 द्वारा लागू ए0सी0पी0 की पुरानी व्यवस्था दिनांक 31.12.2016 तक सातवें वेतन आयोग में भी लागू रहेगी।
5. पिटकुल के आदेश संख्या 1328/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 30.07.2016 द्वारा अनुमन्य करायी गयी प्रोन्नति का लाभ अगली वेतनवृद्धि की तिथि से लिये जाने सम्बन्धी विकल्प की सुविधा सातवें वेतन आयोग में भी यथावत लागू रहेगी।
6. निगम कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग में शासन के आदेशों की अनुरूपता में मंहगाई भत्ता दिनांक 01.01.2016 से शून्य, दिनांक 01.07.2016 से 2%, दिनांक 01.01.2017 से 4% एवं दिनांक 01.07.2017 से 5% की दर पर देय होगा।
7. उक्त आदेश के अनुसार अधिकारियों के वेतन निर्धारण एवं वेतन प्राधिकार जारी करने का कार्य कारपोरेट मुख्यालय, लेखा स्कन्ध, पिटकुल, देहरादून द्वारा किया जाएगा। कार्मिकों का वेतन निर्धारण सम्बन्धित इकाइयों द्वारा पूर्व की भाँति किया जायेगा एवं वेतन निर्धारण की विदिक्षा तथा अवशेष के भुगतान की जांच कारपोरेट मुख्यालय, लेखा स्कन्ध, पिटकुल, देहरादून द्वारा की जायेगी।

क्रमशः....................2

8. निगम कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग में प्रयोज्य विकल्प पत्र एवं वचनबद्ध का प्रारूप पत्र भी संलग्न है। निगम कार्मिकों द्वारा इस विकल्प का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि उक्त विकल्प पत्र एवं वचनबद्ध इस कार्यालय ज्ञाप के जारी होने की तिथि से तीन माह के अन्दर सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी के पास पहुँच जाए। यदि विकल्प से सम्बन्धित सूचना उल्लिखित समय के अन्दर सम्बन्धित प्राधिकारी को प्राप्त नहीं हो जाती हैं तो यह माना जाएगा कि निगम कार्मिक ने दिनांक 01.01.2016 से प्रवृत्त संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित होने के विकल्प का चयन कर लिया है। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

संलग्नकः– **शासनादेश संख्या 1199 दिनांक 25.9.2017, शासन के अनुसार वेतन मैट्रिक्स एवं विकल्प पत्र एवं वचनबद्ध।**

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 1651 /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/पी–3 तद्दिनांक :

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (परियोजना)/(परिचालन)/(वित्त) पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II)/समस्त महाप्रबन्धक, पिटकुल..............................।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल..।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत् आदेश को आज ही निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल,..।
7. कट फाइल।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)

संख्या–1199 /I(2) /2017-05-34/2016

प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1 प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

2 प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0
देहरादून।

3 प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 25 सितम्बर, 2017

विषयः– ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के कार्मिकों को दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान एवं भत्ते की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 की अधिसूचना संख्या–290/ XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016, शासनादेश संख्या–291/XXVII(7)30(8)/2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016, शासनादेश संख्या–266/ 45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016, शासनादेश संख्या–267/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 तथा शासनादेश संख्या–165/XXVII(7) 30(7)/2017 दिनांक 12 सितम्बर, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त अधिसूचना संख्या–290, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में संलग्न वेतन मैट्रिक्स में प्रति स्थापित वेतन इस प्रतिबन्ध/शर्त के साथ अनुमन्य किया जाता है कि इस सम्बन्ध में होने वाला कोई भी परिवर्तन शासन की अनुमति से ही किया जायेगा।

3– उक्त निगमों में सातवां वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप अवशेष वेतन का भुगतान दिनांक 01.01.2017 से नगद देय होगा तथा दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.12.2016 तक अवशेष वेतन भत्तों एवं एरियर के भुगतान हेतु पृथक से आदेश किये जायेंगे।

4– उक्त तीनों निगमों के कार्मिकों को पूर्व में अनुमन्य समयबद्ध वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुये संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम0ए0सी0पी0एस0), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–11/XXVII(7)30(14)/2017 दिनांक 17 फरवरी, 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार दिनांक 01.01.2017 से लागू होगी।

5– ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के सीधी भर्ती के पदों को फ्रीज करते हुए रिक्त पदों पर भर्ती/चयन की कार्यवाही नहीं की जायेगी। यदि परियोजनाओं के संचालन हेतु कार्मिकों की आवश्यकता है एवं जिन पदों पर चयन की कार्यवाही गतिमान है, ऐसे पदों पर भर्ती/चयन

क्रमशः पेज–2

हेतु शासन की अनुमति प्राप्त करते हुए आवश्यक पदों पर ही भर्ती/चयन की कार्यवाही की जाय, जिन पदों पर आउटसोर्सिंग से कार्य लिया जा रहा है ऐसे कार्मिकों को निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार ही नियत मानदेय का भुगतान किया जाय। भविष्य में निगम के अधीन स्वीकृत पदों की परिधि में ही आउटसोर्स से कार्मिकों की तैनाती की जायेगी।

6– निगमों के कार्मिको को सातवां वेतनमान अनुमन्य किये जाने पर वित्तीय व्ययभार उक्त निगमों द्वारा अपने संसाधनो से वहन किया जायेगा तथा इस हेतु शासन द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नही दी जायेगी और निगमों द्वारा मितव्ययता सुनिश्चित करते हुए संसाधनों में वृद्वि सुनिश्चित की जायेगी।

7– अधिसूचना संख्या–290 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में उल्लिखित वेतनमानों से भिन्न ग्रेड पे के वेतनमानों का पुनरीक्षण निकटतम न्यूनतम वेतन मैट्रिक्स में संरक्षित करते हुए किया जायेगा।

8– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

यह आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0 संख्या–243/XXVII(10)/2017 दिनांक 25 सितम्बर, 2017, द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नकः–यथोपरि।</u>

भवदीया,

(राधिका झा)
सचिव

संख्या– 1199 /I(2) /2017-05-34/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़ डालनवालना, देहरादून।
8. समस्त कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. विभागीय आदेश पुस्तिका।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव

PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांक: 1778/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक: 27.12.2017

विषय: ऊर्जा विभाग के नियन्त्रणाधीन तीनों निगमों के कार्मिकों को दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान एवं भत्ते की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक
समस्त अधिशासी अभियन्ता (आहरण एवं वितरण अधिकारी)
पिटकुल........................।

कृपया कारपोरेशन के ज्ञाप संख्या 1649/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 28.11.2017 के अनुक्रम में सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के उपरोक्त विषयक आदेश संख्या 1585/I(2)/2017-05-34/2016 दिनांक 22.12.2017 की छायाप्रति एवं पिटकुल निदेशक मण्डल द्वारा पारित वेतन मैट्रिक्स की प्रतिलिपि तदानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– 1. शासनादेश संख्या 1585/I(2)/2017-05-34/2016 दिनांक 22.12.2017
2. निदेशक मण्डल द्वारा पारित वेतन मैट्रिक्स।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांक : /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (परियोजना)/(वित्त)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून।
3. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0), सूचना प्रौद्योगिकी, पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत पत्र को निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, कारपोरेट लेखा स्कन्ध, पिटकुल, देहरादून।
5. कट फाईल।

संलग्नक– 1. शासनादेश संख्या 1585/I(2)/2017-05-34/2016 दिनांक 22.12.2017
2. निदेशक मण्डल द्वारा पारित वेतन मैट्रिक्स।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)

संख्या– 1525/I(2) /2017-05-34/2016

प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1 प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

2 प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0
देहरादून।

3 प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 22 दिसम्बर, 2017

विषयः– ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के कार्मिकों को दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान एवं भत्ते की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–1199/I(2)/2017-05-34/2016 दिनांक 25 सितम्बर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त शासनादेश के माध्यम से ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के कार्मिको को दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या–07 में निम्नवत् संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1. 2200 ग्रेड–पे पाने वाले कार्मिकों को, सातवें वेतनमान में 2200 ग्रेड पे (बी0ओ0डी0 द्वारा संस्तुत पे–मैट्रिक्स) के सापेक्ष निर्धारित होने वाले वेतन को संरक्षित करते हुए, वेतन समिति द्वारा संलग्न संशोधित पे–मैट्रिक्स के 2400 ग्रेड–पे के वेतन मैट्रिक्स मे वेतन निर्धारण किया जायेगा।
2. 2600 ग्रेड–पे पाने वाले कार्मिकों को, सातवें वेतनमान में 2600 ग्रेड–पे (बी0ओ0डी0 द्वारा संस्तुत पे–मैट्रिक्स) के सापेक्ष निर्धारित होने वाले वेतन को संरक्षित करते हुए, वेतन समिति द्वारा संस्तुत संलग्न संशोधित पे–मैट्रिक्स के 2800 ग्रेड–पे के वेतन मैट्रिक्स मे वेतन निर्धारण किया जायेगा।
3. 3000 ग्रेड–पे पाने वाले कार्मिकों को, सातवें वेतनमान में 3000 ग्रेड–पे (बी0ओ0डी0 द्वारा संस्तुत पे–मैट्रिक्स) के सापेक्ष निर्धारित होने वाले वेतन को संरक्षित करते हुए, वेतन समिति द्वारा संस्तुत संलग्न संशोधित पे–मैट्रिक्स के 2800 ग्रेड–पे के वेतन मैट्रिक्स मे वेतन निर्धारण किया जायेगा।
4. 4200 ग्रेड–पे पाने वाले कार्मिकों को, सातवें वेतनमान में 4200 ग्रेड–पे (बी0ओ0डी0 द्वारा संस्तुत पे–मैट्रिक्स) के सापेक्ष निर्धारित होने वाले वेतन को संरक्षित करते हुए, वेतन समिति द्वारा संलग्न संशोधित पे–मैट्रिक्स 4200 ग्रेड–पे के वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण किया जायेगा।
5. 4400 ग्रेड–पे पाने वाले कार्मिकों को, सातवें वेतनमान में 4400 ग्रेड–पे (बी0ओ0डी0 द्वारा संस्तुत पे–मैट्रिक्स) के सापेक्ष निर्धारित होने वाले वेतन को संरक्षित करते हुए, वेतन समिति द्वारा संस्तुत संलग्न संशोधित पे–मैट्रिक्स के 4600 ग्रेड–पे के वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण किया जायेगा।

HR/Admin./PTCUL/D.Dun
Diary No.....2039.........
File..........R-3.........
Date.....26/12/17.........

6. 6600 (9300—34800) ग्रेड—पे पाने वाले कार्मिकों को, सातवें वेतनमान में 6600 (9300—34800) ग्रेड पे (बी0ओ0डी0 द्वारा संस्तुत पे—मैट्रिक्स) के सापेक्ष निर्धारित होने वाले वेतन को संरक्षित करते हुए, वेतन समिति द्वारा संस्तुत संलग्न संशोधित पे—मैट्रिक्स के 5400(9300—34800) ग्रेड—पे के वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण किया जायेगा।
7. 11000 एवं 11500 ग्रेड—पे पाने वाले कार्मिकों को, सातवें वेतनमान में 11000 ग्रेड—पे, (बी0ओ0डी0 द्वारा संस्तुत पे—मैट्रिक्स) के सापेक्ष निर्धारित होने वाले वेतन को संरक्षित करते हुए, वेतन समिति द्वारा संस्तुत संशोधित पे—मैट्रिक्स के 10000 ग्रेड—पे के वेतन मैट्रिक्स मे वेतन निर्धारण किया जायेगा।

3. उपरोक्तानुसार वेतन संरक्षित किये जाने पर कार्मिक के पुनरीक्षित वेतन का निर्धारण अनुमन्य पे—मैट्रिक्स में अंकित अधिकतम धनराशि से अधिक हो तो उस धनराशि की अनुमन्यता वैयक्तिक वेतन के रूप में की जायेगी।

4. दिनांक 01.01.2016 से 30.11.2017 तक नव नियुक्त कार्मिकों को भी वेतन समिति द्वारा संस्तुत संशोधित पे—मैट्रिक्स में वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण किया जायेगा।

5. उक्त शासनादेश संख्या—1199, दिनांक 25.09.2017 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या—320/XXVII(10)/2017 दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त सहमति के कम में जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(राधिका झा)
सचिव

संख्या— /I(2) /2017-05-34/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़ डालनवाला, देहरादून।
8. समस्त कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. विभागीय आदेश पुस्तिका।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, देहरादून।
2. प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लि0, देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 06 जनवरी, 2022

विषयः– ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के कार्मिकों को दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के कम में उल्लेख करना है कि शासनादेश संख्या 1199/I(2)/2017–05–34/2016, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 द्वारा ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के कार्मिकों को पूर्व में अनुमन्य समयबद्ध वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम0ए0सी0पी0एस0), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–11/XXVI(7)30(14)/2017 दिनांक 17 फरवरी, 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार दिनांक 01.01.2017 से लागू की गयी थी। इसी अनुक्रम में शासनादेश संख्या–1585/I(2)/2017–05–34/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 द्वारा वेतन संरक्षण का लाभ भी प्रदान किया गया था।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि के पत्र संख्या–1052/प्र0निदे0/उपाकालि/सातवां वेतन आयोग (एफ–2) दिनांक 10.02.2017, पत्र संख्या– 811/प्र0निदे0/उपाकालि/एफ–2 दिनांक 23.01.2019, प्रबंध निदेशक, पिटकुल के पत्र संख्या–203/मा0स0/प्र0नि0/अनु/पिटकुल/पी–3, दिनांक 16.02.2017, पत्र संख्या–1096/मा0स0एवंप्र0नि0/पिटकुल/पी–3, दिनांक 31.07.2019 तथा प्रबंध निदेशक, यूजेवीएनएल के पत्र संख्या–41/यूजेवीएनलि/प्र0नि0 दिनांक 14.02.2017, पत्र सख्यां–5412/यूजेवीएनएल/प्रा0नि0/शासन–6(डी), दिनांक 13.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा तीनों निगमों के निदेशक मण्डल से पारित वेतन बैण्ड एवं वेतन लेवल/पे–मेट्रिक्स अनुमन्य कराते हुए दिनांक 01.01.2016 से वर्तमान समय में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवा में प्रतिकूल परिवर्तन न किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 31.12.2016 तक लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था सीधी भर्ती (Induction Post) की नियुक्ति तिथि से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः 09 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्व में प्रचलित व अनुमन्य पे–मैट्रिक्स में (नॉन फंक्शनल वेतनमान की उपेक्षा करते हुए) दिनांक 01.01.2017 से भी यथावत अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध कराया गया है कि भविष्य में भर्ती होने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था स्वतः लागू नहीं होगी।

3– अतः उपरोक्तानुसार तीनों निगमों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तीनों निगमों में शासनादेश संख्या–1199 दिनांक 25.09.2017 एवं शासनादेश संख्या–1585 दिनांक 22.12.2017 को एतद् द्वारा अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01.01.2016 से वर्तमान समय में

–2

कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवा में प्रतिकूल परिवर्तन न किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 31.12.2016 तक लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था सीधी भर्ती (Induction Post) की नियुक्ति तिथि से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः 09 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्व में प्रचलित व अनुमन्य पे–मैट्रिक्स में (नॉन फंक्शनल वेतनमान की उपेक्षा करते हुए) दिनांक 01.01.2017 से भी यथावत् अनुमन्य कराये जाने की एतद् द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1. निगमों के कार्मिकों को उक्त व्यवस्था अनुमन्य किये जाने पर वित्तीय व्ययभार निगमों द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा तथा इस हेतु शासन द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी और निगमों द्वारा मित्तव्ययता सुनिश्चित करते हुए संसाधनों में वृद्धि सुनिश्चित की जायेगी।
2. निगमों में भविष्य में भर्ती होने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था स्वतः लागू नहीं होगी।
3. निगमों द्वारा राज्य सरकार के प्रति वार्षिक देयता एवं इस आधार पर वर्तमान तक देय अवशेष भी शासन को दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. साथ ही शासनादेश संख्या–1585/I(2)/2017–05–34/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 के अनुपालन में किये गये वेतन निर्धारण से लाभ प्राप्त कर चुके कार्मिकों से कोई प्रत्याप्ति (Recovery) नहीं की जायेगी।

भवदीया,

/

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– / I(2)/2021–06(2)–02/2015 T.C.-1,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्री, ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
9. समस्त कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. विभागीय आदेश पुस्तिका/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2643023 फैक्स नं0 0135–2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांकः 117 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 07.01.2022

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा शासनादेश संख्या 1723/ I(2)/2021–06(2)–03/2015 दिनांक 20.12.2021 के अनुपालन में पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में नियुक्त/पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं (लेवन–10 में प्रारम्भिक वेतन रू0 56,100) तथा तकनीशियन ग्रेड–द्वितीय (लेवल–4 में प्रारम्भिक वेतन रू0 25,500) को शासनादेश संख्या 1199/ I(2)/2017–05–34/2016 दिनांक 25.09.2017 के अनुक्रम में कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं0 1649/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 28.11.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य वेतन लेवल के प्रारम्भिक वेतन पर क्रमशः दो (02) तथा एक (01) वेतन वृद्धि निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. प्रकरण से सम्बन्धित किसी भी कार्मिक को एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा।
2. उक्त व्यवस्था केवल वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों पर ही लागू होगी। भविष्य में ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के नियम लागू होंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 117 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–3 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निजी सहायक/डा0ए0ऑ0–निदेशक (परिचालन)/(मा0सं0)/(वित्त)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II)/महाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, ...।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वैबसाईट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

(अशोक कुमार जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)/(औ0सं0)

2751 61 27/12/21

(138)

संख्या–1723/I(2)/2021-06(2)-03/2015

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उपाकालि/पिटकुल/यूजेवीएन लि0,
देहरादून।

Dir(F)/Dir(HR) for n/a.

प्रबन्ध निदेशक पिटकुल, देहरादून

ऊर्जा अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021

विषय– ऊर्जा विभाग के नियन्त्रणाधीन तीनों निगमों में सहायक अभियन्ता एवं तकनीकी ग्रेड–द्वितीय के कार्मिकों को प्रारम्भिक वेतन वृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऊर्जा विभाग के नियन्त्रणाधीन तीनों निगमों में नियुक्त/पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं (लेवल–10 में प्रारम्भिक वेतन रू0 56,100) तथा तकनीकी ग्रेड–द्वितीय (लेवल–4 में प्रारम्भिक वेतन रू0 25,500) को शासन के पत्र संख्या–1199/I(2)/2017–05–34/2016 दिनांक 25 सितम्बर, 2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य वेतन लेवल के प्रारम्भिक वेतन पर क्रमशः 02 तथा 01 वेतन वृद्धि निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किए जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

I. प्रकरण से सम्बन्धित किसी भी कार्मिक को एरियर का भुगतान नहीं किया जायेगा।
II. उक्त व्यवस्था केवल वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों पर ही लागू होगी। भविष्य में ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के नियम लागू होंगे।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अ0सं0–400/XXVII(10)/2021 दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

कार्यालय निदेशक (मा0सं0)
पत्र प्राप्ति की दिनांक 20.12.2021 समय 01:15 PM
डायरी संख्या 2504
प्राप्तकर्ता

भवदीय,
(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–1723/I(2)/2021-06(2)-03/2015,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0 विभागीय मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव

कार्यालय में पत्र प्राप्ति की तिथि 24.12.21
प्राप्तकर्ता
कार्यालय प्रबन्ध निदेशक पिटकुल देहरादून

Seen

dR/Admin./PTCUL/D.Dun
Diary No. 3402
Date 28/12/21

PTCUL

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांक 508 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 दिनांकः 06.04.2022

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं0 1199 / I(2) / 2017–05–34 / 2016 दिनांक 25.09.2017 एवं शासनादेश सं0 1585 / I(2) / 2017–05–34 / 2016 दिनांक 22.12.2017 के अनुक्रम में निगमादेश सं0 1649 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक 28.11.2017 के द्वारा सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरुप पिटकुल में अनुमन्य सातवें वेतनमान को शासनादेश सं0 12 / I(2) / 2021–06(2)–02 / 2015 टी0सी0–1 दिनांक 06.01.2022 के द्वारा अतिकमित किए जाने एवं दिनांक 01.01.2016 से पिटकुल के आदेश सं0 1778 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक 27.12.2017 के अनुसार पुनः सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरुप पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान किए जाने के फलस्वरुप वित्त विभाग (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–07 की अधिसूचना संख्या–290 / XXVII(7)50(16) / 2016 दिनांक 28.12.2016 तथा शासनादेश संख्या 291 / XXVII(07)30(8) / 2016 दिनांक 29.12.2016 तथा शासनादेश सं0 165 / XXVII(07)30(7) / 2017 दिनांक 12.09.2017 के अनुक्रम में दिनांक 01.01.2016 को निगम के पूर्णकालिक सेवा में कार्यरत नियमित कार्मिकों (प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नियमित कार्मिकों सहित) के वेतन निर्धारण तथा प्रकिया विषयक कार्यवाही संलग्न शासनादेश सं0 12 / I(2) / 2021–06(2)–02 / 2015 टी0सी0–1 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार सम्पादित की जायेगी।

2. शासनादेश सं0 1585 / I(2) / 2017–05–34 / 2016 दिनांक 22.12.2017 के अनुपालन में किए गये वेतन निर्धारण से लाभ प्राप्त कर चुके कार्मिकों से शासनादेश सं0 12 / 1(2) / 2021–06(2)–02 / 2015 टी0सी0–1 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार दिनांक 06.01.2022 तक कोई प्रत्याप्ति (रिकवरी) नहीं की जायेगी।
3. पिटकुल के आदेश संख्या 1216 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक 16.07.2013 एवं 1811 / मा0सं0एवं प्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक 10.11.2016 एवं 1649 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक 28.11.2017 द्वारा दिनांक 31.12.2016 तक अनुमन्य ए0सी0पी0 की पूर्व व्यवस्था दिनांक 01.01.2017 से सातवें वेतनमान में भी यथावत् लागू रहेगी। दिनांक 06.01.2022 के बाद नियुक्त होने वाले कार्मिकों पर यह व्यवस्था स्वतः लागू नहीं होगी।
4. पिटकुल के आदेश सं0 1328 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक 30.06.2016 द्वारा अनुमन्य करायी गयी पदोन्नति का लाभ अगली वेतन वृद्धि की तिथि से लिए जाने सम्बन्धी विकल्प की सुविधा सातवें वेतन आयोग में भी यथावत लागू रहेगी।
5. पिटकुल के आदेश संख्या 711 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक 30.05.2011 एवं 366 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक 21.02.2018 द्वारा पदोन्नति पर वेतनवृद्धि सम्बन्धी आदेश अग्रेतर यथावत रहेंगे।
6. उक्त आदेश के अनुसार अधिकारियों के वेतन निर्धारण एवं वेतन प्राधिकार जारी करने का कार्य पिटकुल कारपोरेट वित्त विभाग देहरादून द्वारा किया जायेगा। कार्मिकों का वेतन निर्धारण सम्बन्धित इकाइयों द्वारा पूर्व की भांति किया जायेगा एवं वेतन निर्धारण की जांच पिटकुल कारपोरेट वित्त विभाग, देहरादून द्वारा की जायेगी।

उक्त आदेश वित्त विभाग की विदीक्षा उपरान्त निर्गत किये जा रहे हैं।

6/4

प्रबन्ध निदेशक

संलग्नकः 1. शासनादेश संख्या 12 दिनांक 06.01.2022,
2. निगम द्वारा संस्तुत वेतन मैट्रिक्स

पत्रांकः 508 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 तद्दिनांकितः
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सहायक –प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सहायक / डा0ए0ओ0–निदेशक (परिचालन) / (मा0सं0) / (वित्त) / (परियोजना), पिटकुल, को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक, पिटकुल .... ।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ... ।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता / आहरण–वितरण अधिकारी, पिटकुल, ... ।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0) पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि पत्र को पिटकुल की वैबसाइट पर प्रदर्शित करवाना सुनिश्चित करें।
7. कट फाईल।

(अशोक कुमार जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक(मा0सं0) / (औ0सं0)

Scanned with CamScanner

संख्या– 12 / I(2)/2021–06(2)–02/2015 T.C.-I

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, देहरादून।
2. प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लि0, देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 06 जनवरी, 2022

विषयः– ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के कार्मिकों को दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के क्रम में उल्लेख करना है कि शासनादेश संख्या 1199/I(2)/2017–05–34/2016, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 द्वारा ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों के कार्मिकों को पूर्व में अनुमन्य समयबद्ध वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम0ए0सी0पी0एस0), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–11/XXVI(7)30(14)/2017 दिनांक 17 फरवरी, 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार दिनांक 01.01.2017 से लागू की गयी थी। इसी अनुक्रम में शासनादेश संख्या–1585/I(2)/2017–05–34/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 द्वारा वेतन संरक्षण का लाभ भी प्रदान किया गया था।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि के पत्र संख्या–1052/प्र0निदे0/उपाकालि/सातवां वेतन आयोग (एफ–2) दिनांक 10.02.2017, पत्र संख्या– 811/प्र0निदे0/उपाकालि/एफ–2 दिनांक 23.01.2019, प्रबंध निदेशक, पिटकुल के पत्र संख्या–203/मा0स0/प्र0नि0/अनु/पिटकुल/पी–3, दिनांक 16.02.2017, पत्र संख्या–1096/मा0स0एवंप्र0नि0/पिटकुल/पी–3, दिनांक 31.07.2019 तथा प्रबंध निदेशक, यूजेवीएनएल के पत्र संख्या–41/यूजेवीएनलि/प्र0नि0 दिनांक 14.02.2017, पत्र सख्यां–5412/यूजेवीएनएल/प्रा0नि0/शासन–6(डी), दिनांक 13.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा तीनों निगमों के निदेशक मण्डल से पारित वेतन बैण्ड एवं वेतन लेवल/पे–मेट्रिक्स अनुमन्य कराते हुए दिनांक 01.01.2016 से वर्तमान समय में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवा में प्रतिकूल परिवर्तन न किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 31.12.2016 तक लागू ए0सी0पी0 की व्यवस्था सीधी भर्ती (Induction Post) की नियुक्ति तिथि से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः 09 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्व में प्रचलित व अनुमन्य पे–मैट्रिक्स में (नॉन फंक्शनल वेतनमान की उपेक्षा करते हुए) दिनांक 01.01.2017 से भी यथावत अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध कराया गया है कि भविष्य में भर्ती होने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था स्वतः लागू नहीं होगी।

3– अतः उपरोक्तानुसार तीनों निगमों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तीनों निगमों में शासनादेश संख्या–1199 दिनांक 25.09.2017 एवं शासनादेश संख्या–1585 दिनांक 22.12.2017 को एतद् द्वारा अतिक्रमित करते हुए दिनांक 01.01.2016 से वर्तमान समय में

कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवा में प्रतिकूल परिवर्तन न किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 31.12.2016 तक लागू ए०सी०पी० की व्यवस्था सीधी भर्ती (Induction Post) की नियुक्ति तिथि से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रमशः 09 वर्ष, 14 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्व में प्रचलित व अनुमन्य पे–मैट्रिक्स में (नॉन फंक्शनल वेतनमान की उपेक्षा करते हुए) दिनांक 01.01.2017 से भी यथावत् अनुमन्य कराये जाने की एतद् द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1. निगमों के कार्मिकों को उक्त व्यवस्था अनुमन्य किये जाने पर वित्तीय व्ययभार निगमों द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा तथा इस हेतु शासन द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी और निगमों द्वारा मित्तव्ययता सुनिश्चित करते हुए संसाधनों में वृद्धि सुनिश्चित की जायेगी।
2. निगमों में भविष्य में भर्ती होने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था स्वतः लागू नहीं होगी।
3. निगमों द्वारा राज्य सरकार के प्रति वार्षिक देयता एवं इस आधार पर वर्तमान तक देय अवशेष भी शासन को दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. साथ ही शासनादेश संख्या–1585/I(2)/2017–05–34/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 के अनुपालन में किये गये वेतन निर्धारण से लाभ प्राप्त कर चुके कार्मिकों से कोई प्रत्याप्ति (Recovery) नहीं की जायेगी।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– / I(2)/2021–06(2)–02/2015 T.C.-1, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्री, ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. समस्त कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. विभागीय आदेश पुस्तिका/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।

AN

संशोधित सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स (पिटकुल हेतु)

(Columns in green colour show the Grade Pay incorporated,as allowed by GC Commission for all three Power Utilities of Uttarakhand)

वेतन बैंड	5200 - 20200						9300 - 3			
ग्रेड वेतन	1900	2000	2200	2600	3000	4200	4400	4600	5400	6600
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19900	21700	22400	27200	29800	36800	43200	44900	53100	59000
2	20500	22400	23100	28000	30700	37900	44500	46200	54700	60800
3	21100	23100	23800	28800	31600	39000	45800	47600	56300	62600
4	21700	23800	24500	29700	32500	40200	47200	49000	58000	64500
5	22400	24500	25200	30600	33500	41400	48600	50500	59700	66400
6	23100	25200	26000	31500	34500	42600	50100	52000	61500	68400
7	23800	26000	26800	32400	35500	43900	51600	53600	63300	70500
8	24500	26800	27600	33400	36600	45200	53100	55200	65200	72600
9	25200	27600	28400	34400	37700	46600	54700	56900	67200	74800
10	26000	28400	29300	35400	38800	48000	56300	58600	69200	77000
11	26800	29300	30200	36500	40000	49400	58000	60400	71300	79300
12	27600	30200	31100	37600	41200	50900	59700	62200	73400	81700
13	28400	31100	32000	38700	42400	52400	61500	64100	75600	84200
14	29300	32000	33000	39900	43700	54000	63300	66000	77900	86700
15	30200	33000	34000	41100	45000	55600	65200	68000	80200	89300
16	31100	34000	35000	42300	46400	57300	67200	70000	82600	92000
17	32000	35000	36100	43600	47800	59000	69200	72100	85100	94800
18	33000	36100	37200	44900	49200	60800	71300	74300	87700	97600
19	34000	37200	38300	46200	50700	62600	73400	76500	90300	100500
20	35000	38300	39400	47600	52200	64500	75600	78800	93000	103500
21	36100	39400	40600	49000	53800	66400	77900	81200	95800	106600
22	37200	40600	41800	50500	55400	68400	80200	83600	98700	109800
23	38300	41800	43100	52000	57100	70500	82600	86100	101700	113100
24	39400	43100	44400	53600	58800	72600	85100	88700	104800	116500
25	40600	44400	45700	55200	60600	74800	87700	91400	107900	120000
26	41800	45700	47100	56900	62400	77000	90300	94100	111100	123600
27	43100	47100	48500	58600	64300	79300	93000	96900	114400	127300
28	44400	48500	50000	60400	66200	81700	95800	99800	117800	131100
29	45700	50000	51500	62200	68200	84200	98700	102800	121300	135000
30	47100	51500	53000	64100	70200	86700	101700	105900	124900	139100
31	48500	53000	54600	66000	72300	89300	104800	109100	128600	143300
32	50000	54600	56200	68000	74500	92000	107900	112400	132500	147600
33	51500	56200	57900	70000	76700	94800	111100	115800	136500	152000
34	53000	57900	59600	72100	79000	97600	114400	119300	140600	156600
35	54600	59600	61400	74300	81400	100500	117800	122900	144800	161300
36	56200	61400	63200	76500	83800	103500	121300	126600	149100	166100
37	57900	63200	65100	78800	86300	106600	124900	130400	153600	171100
38	59600	65100	67100	81200	88900	109800	128600	134300	158200	176200
39	61400	67100	69100	83600	91600	113100	132500	138300	162900	181500
40	63200	69100	71200	86100	94300	116500	136500	142400	167800	186900

नोट:-

1 छठे वेतन आयोग जो ऊर्जा के तीनों निगमों में उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 430 / I(2)2009-05-90 / TC / 2008 दिनांक 19.03.2009 द्वारा लागू किया गया था में वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200 में प्रारम्भिक वेतन 9860+4200=14060 अनुसूची क में अनुमन्य किया गया है। इसी क्रम में सातवें वेतन आयोग में ग्रेड वेतन 4200 में पे मैट्रिक्स में प्रारम्भिक वेतन 36800 निर्धारित किया गया है।(अनुसूची क संलग्न)

2 वेतनमान 5200-20200 में ग्रेड वेतन 2200 उ0पा0का0लि0 एवं पिटकुल में कोई कार्मिक कार्यरत नहीं है।

अनुमोदित सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स (विद्युत हेतु)

(Columns in green colour show the Grade Pay incorporated,as allowed by GOU in the Pay Commission for all three Power Utilities of Uttarakhand)

15600 - 39100		37400 - 67000					67000 - 79000	67000 - 79000 (69010)
5400	**6600**	8700	8900	10000	11000	11500	H A G	H A G
11	12	13	14	15	16	17	18	19
56100	67700	118500	131100	144200	158000	159400	182200	187700
57800	69700	122100	135000	148500	162700	164200	187700	193300
59500	71800	125800	139100	153000	167600	169100	193300	199100
61300	74000	129600	143300	157600	172600	174200	199100	205100
63100	76200	133500	147600	162300	177800	179400	205100	211300
65000	78500	137500	152000	167200	183100	184800	211300	217600
67000	80900	141600	156600	172200	188600	190300	217600	224100
69000	83300	145800	161300	177400	194300	196000	224100	
71100	85800	150200	166100	182700	200100	201900		
73200	88400	154700	171100	188200	206100	208000		
75400	91100	159300	176200	193800	212300	214200		
77700	93800	164100	181500	199600	218700	220600		
80000	96600	169000	186900	205600				
82400	99500	174100	192500	211800				
84900	102500	179300	198300	218200				
87400	105600	184700	204200					
90000	108800	190200	210300					
92700	112100	195900	216600					
95500	115500	201800						
98400	119000	207900						
101400	122600	214100						
104400	126300							
107500	130100							
110700	134000							
114000	138000							
117400	142100							
120900	146400							
124500	150800							
128200	155300							
132000	160000							
136000	164800							
140100	169700							
144300	174800							
148600	180000							
153100	185400							
157700	191000							
162400	196700							
167300	202600							
172300	208700							
177500								

PTCUL

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांकः/ 944/ मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांकः23.11.2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 211/I(2)/2013-05-90/TC/2008 दिनांक 20.02.2012 के द्वारा ऊर्जा के तीनों निगमों के कार्मिकों के लिए दिनांक 01.04.2009 से 09, 14 एवं 19 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति के अनुपालन में कारपोरेशन आदेश संख्या 1216/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल दिनांक 16.07.2013 (यथासंशोधित) के द्वारा कार्मिकों को 09, 14 एवं 19 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था अनुमन्य की गयी।

छठे वेतनमान में दिनांक 31.12.2016 तक लागू ए0सी0पी0 की पूर्व व्यवस्था को शासनादेश संख्या 12/I(2)/2021-06 (2)-02/2015 टीसी-1 दिनांक 06.01.2022 के अनुक्रम में सातवें वेतनमान में (नॉन फंक्शनल वेतनमान की उपेक्षा करते हुये) दिनांक 01.01.2017 से यथावत अनुमन्य किया गया है।

पिटकुल की निदेशक मण्डल की दिनांक 13.10.2022 को सम्पन्न 81वीं बैठक में प्रस्तुत एजेन्डा आइटम संख्या 81.21 में निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में छठे वेतनमान में लागू वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता के प्राविधानों के कारण उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को समाप्त करने हेतु पूर्व में लागू वित्तीय स्तरोन्नयन कारपोरेशन आदेश संख्या 1216/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल दिनांक 16.07.2013 के बिन्दु–2(I)(ख) में उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 589/XXXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 01.07.2013 के अनुक्रम में यूजेवीएन लि0 के आदेश संख्या C–25/यूजेवीएनलि0/05/अनु0–3/उमप्र(मा0सं0) दिनांक 24.09.2022 की भांति आंशिक संशोधन करते हुये द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की स्वीकृति हेतु एतदद्वारा निम्न संशोधित व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान की जाती :–

कारपोरेशन आदेश संख्या 1216/मा0सं0एवं प्र0अनु0/पिटकुल दिनांक 16.07.2013 में द्वितीय ए०सी०पी० की व्यवस्था	द्वितीय ए0सी0पी0 हेतु संशोधित व्यवस्था
2(I)(ख) *"प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 05 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।* ***परन्तु*** *यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा उसके पश्चात प्राप्त हो जाती है तो, प्रोन्नति की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।*	**2(1)(ख)** *प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप अनुमन्य ग्रेड वेतन में 05 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 14 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि जो भी पहले हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।* ***परन्तु*** *यदि कार्मिक की प्रोन्नति प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के पूर्व अथवा* उसके पश्चात होती है, तो प्रोन्नति की तिथि से 05 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा अथवा 14 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन (नॉन फॅक्शनल वेतनमान की उपेक्षा करते हुए) द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।

क्रमशः......2/–

कारपोरेशन आदेश संख्या 1216/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल दिनांक 16.07.2013 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

अध्यक्ष

पत्रांक : 1944 /**मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी-3** तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव-अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष, पिटकुल, देहरादून को अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष महोदया, पिटकुल के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (मा0सं0)/(वित्त)/ (परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-I/II)/महाप्रबन्धक, पिटकुल...।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.............................।
5. अधिशासी अभियन्ता (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत आदेश को पिटकुल की वेबसाईट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता/आहरण वितरण अधिकारी, पिटकुल.............।

(पी0सी0 ध्यानी) 23/11/2022
प्रबन्ध निदेशक